एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें और

कार्ड सदस्य धारक अनुबंध

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एमआईटीसी और कार्ड धारक अनुबंध

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें और कार्ड सदस्य धारक अनुबंध

विषय-सूची (एमआईटीसी)

A) शुल्क और प्रभार

i. प्राथमिक कार्डधारक के लिए सदस्यता शुल्क और वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क..........................

ii. एटीएम निकासी शुल्क...

iii. ट्रांजैक्शन के लिए लागू सेवा शुल्क …..

iv. अन्य शुल्क और प्रभार...

v. ब्याज मुक्त (ग्रेस पीरियड)…...

vi. डिफॉल्ट/विलंबित भुगतान शुल्क के मामले में शुल्क ....

vii. ऑटो डेबिट...

B) निकासी सीमाएं

i. क्रेडिट सीमा…..

ii. उपलब्ध क्रेडिट सीमा…...

iii. एटीएम निकासी सीमा..

C) बिलिंग

i. बिलिंग विवरण - आवधिकता और भेजने का तरीका ....

ii. न्यूनतम देय राशि/न्यूनतम बकाया राशि..

iii. भुगतान का तरीका…..

iv. बिलिंग विवाद समाधान...

v. कार्ड जारीकर्ता का पूरा डाक पता… ....

D) डिफॉल्ट और परिस्थितियां

i. कार्डधारक को डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट करने की नोटिस अवधि सहित प्रक्रिया..............

ii. डिफॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की प्रक्रिया और वह अवधि, जिसके भीतर बकाया राशि के निपटान के बाद डिफॉल्ट रिपोर्ट वापस ले ली जाएगी…..

iii. डिफॉल्ट के मामले में रिकवरी प्रक्रिया… ....

iv. कार्डधारक की मृत्यु/स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में बकाया राशि की रिकवरी...........

v. कार्डधारकों के लिए उपलब्ध बीमा कवर (अगर कोई हो) और नामांकन विवरण सहित पॉलिसी एक्टिवेशन की तिथि…...

E) कार्ड सदस्यता की समाप्ति/कैंसलेशन

i. कार्डधारक द्वारा कार्ड सरेंडर/बंद करने की प्रक्रिया…...

ii. उपरोक्त के लिए विशेष रूप से प्रदान किया गया लिंक वेबसाइट पर देखें ....

iii. कार्डधारक द्वारा कार्ड बंद करने/हॉट लिस्टिंग शुरू करने के लिए संपर्क विवरण - ईमेल आईडी, एसएमएस के लिए समर्पित टेलीफोन नंबर, आईवीआरएस....................................

iv. अगर कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं किया गया है, तो कार्ड खाता बंद करने की प्रक्रिया...

F) कार्ड की हानि/चोरी/दुरुपयोग

i. कार्ड की हानि/चोरी/दुरुपयोग के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - कार्ड जारीकर्ता को सूचना देने का तरीका..

ii. वेबसाइट लिंक, फोन बैंकिंग, एसएमएस, ईमेल, आईवीआर, एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन, अनधिकृत ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करने और कार्ड को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निकटतम शाखा को सूचित करना आदि

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एमआईटीसी और कार्ड धारक अनुबंध

....

iii. समय-समय पर अपडेट किए गए 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ग्राहकों की देयता सीमित करना' पर दिनांक 6 जुलाई, 2017 के आरबीआई परिपत्र संदर्भ DBR No Leg BC 78/09 07 2005/2017-18 अनुसार उपरोक्त (i) के मामले में कार्डधारक की यता..

G) शिकायत निवारण और मुआवजा नियम

i. शिकायत निवारण और शिकायत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया ....

ii. शिकायतों के निवारण की समय-सीमा…...

iii. असफल/विफल ट्रांजैक्शन, शिकायत निवारण में देरी, खाता बंद करने में देरी / खोए या चोरी हुए कार्ड्स को ब्लॉक करने आदि के लिए मुआवजा नियम…....................................

iv. पार्टनर संपर्क विवरण...

H) प्रकटीकरण ....

I) रिवॉर्ड / कैश पॉइंट्स...

J) महत्वपूर्ण नियामक जानकारी...

K) सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में अधिक जानकारी...

L) ग्राहक जानकारी की गोपनीयता...

M) राजस्व साझाकरण ....

A. शुल्क और प्रभार

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से संबंधित शुल्क और प्रभार नीचे दिए गए हैं:

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एमआईटीसी और कार्ड धारक अनुबंध

i. कार्डधारक के लिए जॉइनिंग शुल्क / सदस्यता शुल्क और एएमसी शुल्क माफी के विवरण नीचे दिए गए हैं।

क्रेडिट कार्ड का प्रकार	**जॉइनिंग शुल्क / सदस्यता शुल्क (रुपये में)**	**वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क (रुपये में)**	**वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क माफी नियम**
एसबीएम मोबिक्विक फर्स्ट	0	0	N/A
एसबीएम जेडईटी	0	0	N/A
एसबीएम क्रेडिट.पे	0	199 + जीएसटी	₹4,500 से कम क्रेडिट सीमा के लिए लागू
एसबीएम क्रेडिलियो	0	0	N/A
एसबीएम मैग्नेट	0	0	N/A
एसबीएम नियो ग्लोबल	0	0	N/A
एसबीएम पैसाबाजार स्टेप अप	0	0	N/A
एसबीएम पैसाबाजार पैसा +	0	499 + जीएसटी	अपने क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल तिथि से पहले एक वर्ष में ₹50,000 या उससे अधिक खर्च करें और अपना एएमसी शुल्क माफ कराएं।

टेबल संख्या - 01

ii. एटीएम निकासी शुल्क:

क्रेडिट कार्ड का प्रकार	**एटीएम निकासी शुल्क**
एसबीएम मोबिक्विक फर्स्ट	निकाली गई राशि का 2.5% या 250 रुपये (जो भी अधिक हो)
एसबीएम जेडईटी	निकाली गई राशि का 3.5% या 300 रुपये (जो भी अधिक हो)
एसबीएम क्रेडिट.पे	निकाली गई राशि का 2.5% या 100 रुपये (जो भी अधिक हो)
एसबीएम क्रेडिलियो	निकाली गई राशि का 2.5% या 299 रुपये (जो भी अधिक हो)
एसबीएम मैग्नेट	निकासी राशि का 2.5% या 300 रुपये (जो भी अधिक हो)
एसबीएम नियो ग्लोबल	राशि का 2.5% या 423 रुपये + जीएसटी या जो भी अधिक हो
एसबीएम पैसाबाजार स्टेप अप	एटीएम निकासी राशि का 2.5% या 250 रुपये (जो भी अधिक हो)
एसबीएम पैसाबाजार पैसा +	एटीएम निकासी राशि का 2.5%

टेबल संख्या - 02

iii. ट्रांजैक्शन के लिए लगाए गए सेवा शुल्क:

क्रेडिट कार्ड का प्रकार	**क्रेडिट मुक्त अवधि के बाद**	**एटीएम निकासी के लिए**

	पीओएस/ईसीओएम के लिए ब्याज दर	ब्याज दर
एसबीएम मोबिक्विक फर्स्ट	3.5% प्रति माह या 42% प्रति वर्ष	3.5% प्रति माह या 42% प्रति वर्ष
एसबीएम जेडईटी	3.5% प्रति माह या 42% प्रति वर्ष	3.5% प्रति माह या 42% प्रति वर्ष
एसबीएम क्रेडिट.पे	3.5% प्रति माह या 42% प्रति वर्ष	3.5% प्रति माह या 42% प्रति वर्ष
एसबीएम क्रेडिलियो	2.5% प्रति माह या 30% प्रति वर्ष	2.99 % प्रति माह या 35.88% प्रति वर्ष
एसबीएम मैग्नेट	2.5% प्रति माह या 30% प्रति वर्ष	3.3% प्रति माह या 40% प्रति वर्ष
एसबीएम नियो ग्लोबल	3% प्रति माह या 36% प्रति वर्ष	3% प्रति माह या 36% प्रति वर्ष
एसबीएम पैसाबाजार स्टेप अप	3% प्रति माह या 36% प्रति वर्ष	3% प्रति माह या 36% प्रति वर्ष
एसबीएम पैसाबाजार पैसा +	3.5% प्रति माह या 42% प्रति वर्ष	3.5% प्रति माह या 42% प्रति वर्ष

टेबल संख्या - 03

a. अगर देय कुल राशि का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है, तो ब्याज लिया जाएगा। देय कुल राशि और सभी नए ट्रांजैक्शन (ट्रांजैक्शन की तिथि से) पर तब तक ब्याज लिया जाएगा, जब तक कि पिछली बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं हो जाता।
साथ ही, ट्रांजैक्शन की तिथि से भुगतान की तिथि तक सभी कैश एडवांस पर ब्याज लिया जाएगा।

b. ब्याज दर एसबीएम बैंक के पूर्ण विवेक पर परिवर्तित की जा सकती है।

c. निम्न उदाहरण ब्याज शुल्क की गणना की विधि को दर्शाता है: नीचे दी गई टेबल में, यह माना गया है कि पिछले महीने के स्टेटमेंट के अनुसार, देय तिथि तक कुल देय राशि का भुगतान कर दिया गया है और कोई बकाया राशि नहीं है। स्टेटमेंट की तिथि प्रत्येक माह की 20 तारीख है। इन विवरण के आधार पर, ब्याज क□ गणना निम्नानुसार की जाएगी:

ट्रांजैक्शन विवरण	रुपये में राशि
15 जनवरी 2020 को खरीदारी	5000
20 जनवरी 2020 के स्टेटमेंट के अनुसार देय कुल राशि	5000
20 जनवरी 2020 के स्टेटमेंट के अनुसार देय न्यूनतम राशि	250
भुगतान की देय तिथि: 9 फरवरी 2020	
12 फरवरी को खरीदारी	3000
15 फरवरी 2020 को भुगतान	6000

टेबल संख्या - 04

उदाहरण: 3.5% प्रति माह की दर से ब्याज की गणना

राशि	अवधि	दिनों की संख्या	ब्याज (रुपये में)

5000	15 जनवरी - 15 फरवरी	30	172.6
3000	12 फरवरी - 20 फरवरी	8	27.62
कुल ब्याज			200.22

टेबल संख्या - 05

iv. अन्य शुल्क और प्रभार

a. फिजिकल कार्ड, कार्ड रिप्लेसमेंट, कार्ड कैंसलेशन, कार्ड रिन्यूअल और ऐड-ऑन कार्ड शुल्क -

क्रेडिट कार्ड का प्रकार	फिजिकल कार्ड शुल्क (रुपये में)	कार्ड रिप्लेसमेंट शुल्क (रुपये में)	कार्ड कैंसलेशन शुल्क (रुपये में)	कार्ड रिन्यूअल शुल्क (रुपये में)	एड-ऑन कार्ड शुल्क (रुपये में)
एसबीएम मोबिक्विक फर्स्ट	200	200	200 *(एक्टिवेशन के छह महीने के भीतर कैंसल करने पर)*	0	लागू नहीं
एसबीएम जेडईटी	0	249	499 *(एक्टिवेशन के एक वर्ष के भीतर कैंसल करने पर)*	0	लागू नहीं
एसबीएम क्रेडिट.पे	0	299	499 *(एक्टिवेशन के छह महीने के भीतर कैंसल करने पर)*	0	लागू नहीं
एसबीएम क्रेडिलियो	0	249	599 *(एक्टिवेशन के एक वर्ष के भीतर कैंसल करने पर)*	0	लागू नहीं
एसबीएम मैग्नेट	0	249	499 *(एक्टिवेशन के एक वर्ष के भीतर कैंसल करने पर)*	0	लागू नहीं
एसबीएम नियो ग्लोबल	0	249	0	0	लागू नहीं
एसबीएम पैसाबाजार स्टेप अप	0	200	लागू नहीं	0	लागू नहीं
एसबीएम पैसाबाजार पैसा +	0 (वर्चुअल कार्ड 10,000 एफडी से कम और फिजिकल कार्ड >=10,000 एफडी)	249	499 *(एक्टिवेशन के छह महीने के भीतर कैंसल करने पर)*	0	लागू नहीं

टेबल संख्या - 06

v. फॉरेक्स और सरचार्ज शुल्क

क्रेडिट कार्ड का प्रकार	फॉरेक्स शुल्क (ट्रांजैक्शन राशि का %)	सरचार्ज शुल्क (ट्रांजैक्शन राशि का %)
एसबीएम मोबिक्विक फर्स्ट	3%	1%
एसबीएम जेडईटी	2.49%	1%
एसबीएम क्रेडिट.पे	3.5%	1%
एसबीएम क्रेडिलियो	2.49%	1%

एसबीएम मैग्नेट	2.49%	1%
एसबीएम नियो ग्लोबल	0%	0%
एसबीएम पैसाबाजार स्टेप अप	0%	1%
एसबीएम पैसाबाजार पैसा +	0%	1%

टेबल संख्या - 07

कृपया ध्यान दें: गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) सभी शुल्कों, ब्याज और अन्य शुल्कों पर लागू होता है और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

vi. ब्याज मुक्त (ग्रेस पीरियड):

कृपया ध्यान रखें कि अगर आपने पिछले महीने की बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया है, तो ब्याज मुक्त अवधि की यह सुविधा आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी।

- ग्रेस पीरियड 20 से 50 दिनों तक हो सकती है।
- ग्रेस पीरियड की गणना के लिए उदाहरण:

अगर आपने पिछले महीने की बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया है, तो ब्याज मुक्त अवधि उपलब्ध नहीं होगी। बिलिंग साइकल की शुरुआत से ब्याज मुक्त अवधि 45 दिनों से अधिक नहीं होगी। आपके कार्ड पर भुगतान की देय तिथ□, स्टेटमेंट के तिथि के 15 दिन बाद की होती है (कृपया अपनी सटीक भुगतान देय तिथि के लिए अपना स्टेटमेंट देखें)। इसलिए, आपकी भुगतान देय तिथि के आधार पर मुफ्त क्रेडिट अवधि 48 दिनों तक हो सकती है, जिसमें 3 दिनों की ग्रेस पीरियड शामिल है।

19 फरवरी 2020 की खरीदार□ के लिए ब्याज-मुक्त छूट की अवधि 19 फरवरी 2020 से 11 मार्च 2020 तक, यानी 21 दिन की होगी।

इस प्रकार, छूट की अवधि खरीदारी की तिथि के आधार पर भिन्न हो सकती है। अगर देय कुल राशि का भुगतान देय तिथि तक नहीं किया जाता है, तो कोई ब्याज-मुक्त अवधि नहीं होगी। कैश एडवांस के लिए, ट्रांजैक्शन की तिथि से भुगतान की तिथि तक ब्याज लिया जाता है।

** ब्याज-मुक्त अवधि: कृपया याद रखें कि अगर आपने पिछले महीने की बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया है, तो ब्याज-मुक्त अवधि की यह सुविधा आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी।

vii. डिफॉल्ट/विलंब भुगतान शुल्क की स्थिति में शुल्क: अगर ग्राहक के क्रेडिट कार्ड खाते (स्टेटमेंट बकाया राशि) पर 3 दिनों से अधिक समय तक "बकाया" राशि बकाया रहती है, तो विलंब भुगतान शुल्क लगाया जाएगा। बकाया दिनों की संख्या और विलंब भुगतान शुल्क की गणना भुगतान की देय तिथि से की जाएगी। अगर भुगतान देय तिथि +3 दिन तक कोई भुगतान नहीं किया जाता है या न्यूनतम देय राशि से कम भुगतान प्राप्त हुआ है, तो आपसे विलंबित भुगतान शुल्क लिया जाएगा। बकाया राशि पर विलंबित भुगतान शुल्क लिया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड का प्रकार	विलंबित भुगतान शुल्क
एसबीएम मोबिक्विक फर्स्ट	कुल बकाया राशि का 2.5% या ₹200 (जो भी अधिक हो)
एसबीएम जेडईटी	₹299
एसबीएम क्रेडिट.पे	बकाया राशि का 5% (अधिकतम ₹1000/-)
एसबीएम क्रेडिलियो	₹ 499
एसबीएम मैग्नेट	₹299
एसबीएम नियो ग्लोबल	₹ 150

<table>
<tr><td>एसबीएम पैसाबाजार स्टेप अप</td><td>
<table>
<tr><th>बकाया राशि (रुपये में)</th><th>विलंबित शुल्क (रुपये में)</th></tr>
<tr><td>₹100 तक</td><td>0</td></tr>
<tr><td>100 - 1000</td><td>250</td></tr>
<tr><td>1000 - 10000</td><td>500</td></tr>
<tr><td>₹10000 से अधिक</td><td>750</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>एसबीएम पैसाबाजार पैसा +</td><td>
<table>
<tr><th>कुल देय राशि</th><th>विलंबित भुगतान शुल्क (रुपये में)</th></tr>
<tr><td>₹100 से कम</td><td>कोई नहीं</td></tr>
<tr><td>₹100 - ₹500 के बीच</td><td>₹100</td></tr>
<tr><td>₹501 - ₹5,000 के बीच</td><td>₹ 500</td></tr>
<tr><td>₹5001 - ₹10,000 के बीच</td><td>₹ 600</td></tr>
<tr><td>₹10001 - ₹25,000 के बीच</td><td>₹ 750</td></tr>
<tr><td>₹25001 - ₹50,000 के बीच</td><td>₹ 950</td></tr>
<tr><td>>50000</td><td>₹ 1000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

टेबल संख्या - 08

विलंब भुगतान शुल्क की गणना के लिए उदाहरण

उपरोक्त उदाहरण में, न्यूनतम देय राशि, अर्थात ₹250, का भुगतान देय तिथि (9 फरवरी 2020) तक करना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विलंब भुगतान शुल्क न लगाया जाए। अगर न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो विलंब भुगतान शुल्क नीचे दिए अनुसार लगाया जाएगा:

कुल बकाया राशि का 2.5% या ₹200 (जो भी अधिक हो) की दर से ब्याज की गणना

इस प्रकार, उपरोक्त उदाहरण में, चूंकि ₹250 की न्यूनतम देय राशि का भुगतान 9 फरवरी 2020 की भुगतान देय तिथि तक नहीं किया गया है और चूंकि कुल देय राशि ₹5000 थी, इसलिए 10 फरवरी 2020 को ₹200 का विलंब भुगतान शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क तब भी लागू होगा, जब आप भुगतान देय तिथि तक न्यूनतम देय राशि से कम का भुगतान करते हैं।

विलंबित भुगतान शुल्क पर जीएसटी लागू होगा।

viii. ऑटो-डेबिट:

अगर किसी ग्राहक ने क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान के लिए ऑटो डेबिट सुविधा के लिए पंजीकरण कराया है और न्यूनतम देय राशि विकल्प चुना है, तो यह देय तिथि पर ही लागू होगा, बशर्ते ग्राहक द्वारा देय तिथि से पहले कोई राशि का भुगतान न किया गया हो। अगर ग्राहक ने देय तिथि से पहले न्यूनतम देय राशि से कम राशि का भुगतान किया है, तो बाकी की राशि डेबिट की जाएगी। अगर ग्राहक ने देय तिथि से पहले न्यूनतम देय राशि के बराबर या उससे अधिक राशि का भुगतान किया है, तो ग्राहक के देयता खाते से कोई अतिरिक्त राशि डेबिट नहीं की जाएगी।

B. निकासी सीमाएं

i. **क्रेडिट सीमा**: एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट सीमा फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का 90 प्रतिशत होगी। उक्त क्रेडिट सीमा समय-समय पर बैंक के विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन हो सकती है। आपको बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से और संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट बनाना होगा। बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट ऑटोमेटिक रिन्यूअल मोड पर होगा। एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करके और इसमें निहित शर्तों से सहमत होकर, आप फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि के अंत में इसे उसी अवधि के लिए ऑटोमेटिक रिन्यूअल करने की सहमति देते हैं जो फिक्स्ड डिपॉजिट की शुरुआत में बुक की गई थी। आपके/बैंक द्वारा एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बंद करने की स्थिति में, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट भी बंद हो जाएगी। कुल बकाया राशि की कटौती के बाद, बंद करने की अवधि तक अर्जित ब्याज सहित फिक्स्ड डिपॉजिट राशि को आपको मूल खाता संख्या में भेज दिया जाएगा।

क्रेडिट कार्ड का प्रकार	ग्राहक के लिए अधिकतम कार्ड सीमा
एसबीएम मोबिक्किक फर्स्ट	फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का 90%
एसबीएम जेडईटी	फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का 90%
एसबीएम क्रेडिट.पे	फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का 90%
एसबीएम क्रेडिलियो	फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का 90%
एसबीएम मैग्नेट	फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का 90%
एसबीएम नियो ग्लोबल	फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का 90%
एसबीएम पैसाबाजार स्टेप अप	फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का 90%
एसबीएम पैसाबाजार पैसा +	फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का 90%

टेबल संख्या - 09

ii. **उपलब्ध क्रेडिट सीमा**: उपलब्ध क्रेडिट सीमा की गणना कुल क्रेडिट सीमा से उपयोग की गई सीमा को घटाकर की जाती है।

iii. **एटीएम निकासी सीमा**: यह क्रेडिट सीमा का एक हिस्सा है जिसका उपयोग एटीएम से नकदी निकालने के लिए किया जा सकता है। क्रेडिट सीमा और नकद निकासी सीमा कार्ड की डिलीवरी के समय बताई जाती है और मासिक विवरणों में भी दर्शाई जाती है।

क्रेडिट कार्ड का प्रकार	एटीएम निकासी सीमा
एसबीएम मोबिक्किक फर्स्ट	क्रेडिट सीमा का 30%
एसबीएम जेडईटी	क्रेडिट सीमा का 50%
एसबीएम क्रेडिट.पे	क्रेडिट सीमा का 50%
एसबीएम क्रेडिलियो	क्रेडिट सीमा का 50%
एसबीएम मैग्नेट	क्रेडिट सीमा का 50%
एसबीएम नियो ग्लोबल	क्रेडिट सीमा का 100%
एसबीएम पैसाबाजार स्टेप अप	क्रेडिट सीमा का 50%
एसबीएम पैसाबाजार पैसा +	क्रेडिट सीमा का 50%

टेबल संख्या - 10

C. बिलिंग

i. **बिलिंग विवरण - आवधिकता और भेजने का तरीका**:
सभी कार्डधारकों को कार्ड के उपयोग से होने वाले सभी शुल्कों और कार्ड खाते पर लागू सभी शुल्कों के लिए मासिक आधार पर बिल भेजा जाएगा। अगर बिलिंग साइकल के दौरान

कार्ड का उपयोग नहीं किया गया था, तो बिलिंग विवरण में उल्लेख किया जाएगा कि उस महीने कोई खर्च नहीं हुआ।
बिलिंग विवरण आपको मासिक रूप से ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।

ii. **न्यूनतम देय राशि/न्यूनतम देय राशि:**
कार्डधारक द्वारा सभी शुल्कों का तुरंत भुगतान करने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्डधारक देय तिथि तक विवरण में दर्शाई गई केवल न्यूनतम देय राशि (एमएडी) का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं। न्यूनतम देय राशि टेबल संख्या 11 में दर्ज बकाया राशि का एक प्रतिशत (%) होगी। किश्तों के माध्यम से किसी भी पुनर्भुगतान के मामले में, विवरण अवधि के दौरान देय किश्त राशि न्यूनतम देय राशि में जोड़ दी जाएगी। अगर कुल बकाया राशि क्रेडिट या नकद सीमा से अधिक है, तो वह राशि, जिससे क्रेडिट या नकद सीमा पार हो गई है, उसे भी न्यूनतम देय राशि में शामिल किया जाएगा। न्यूनतम देय राशि में पिछले विवरणों की बकाया न्यूनतम देय राशि (अगर कोई हो) भी शामिल होगी। अगर देय तिथि तक कुल देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ब्याज लगाया जाएगा, भले ही न्यूनतम देय राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

क्रेडिट कार्ड का प्रकार	**एटीएम निकासी के लिए न्यूनतम देय प्रतिशत**	**पीओएस/ईकॉम ट्रांजैक्शन के लिए न्यूनतम देय प्रतिशत**	**ब्याज के लिए न्यूनतम देय प्रतिशत**	**शुल्क के लिए न्यूनतम देय प्रतिशत**
एसबीएम मोबिक्विक फर्स्ट	10%	5%	100%	100%
एसबीएम जेडईटी	10%	5%	100%	100%
एसबीएम क्रेडिट.पे	5%	5%	100%	100%
एसबीएम क्रेडिलियो	10%	5%	100%	100%
एसबीएम मैग्नेट	10%	5%	100%	100%
एसबीएम नियो ग्लोबल	5%	5%	100%	100%
एसबीएम पैसाबाजार स्टेप अप	5%	5%	100%	100%
एसबीएम पैसाबाजार पैसा +	10%	5%	100%	100%

टेबल संख्या - 11

iii. भुगतान विधि:

कार्ड खाते में भुगतान निम्न विकल्पों के माध्यम से किया जा सकता है और ग्राहक मोबाइल ऐप में लॉग इन करके क्रेडिट कार्ड के बकाया उपयोग के लिए भुगतान कर सकते हैं।

- यूपीआई
- नेट बैंकिंग

भुगतान लिंक के माध्यम से ग्राहक एसबीएम बैंक इंडिया वेबसाइट पर 'क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान' अनुभाग के माध्यम से भी अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं।

*** कैंसल किए गए ट्रांजैक्शन/रिवर्सल/प्रमोशनल कैशबैक में परिवर्तित ट्रांजैक्शन के कारण कोई भी मर्चेंट रिफंड / कैशबैक / क्रेडिट को कार्ड की बकाया राशि के भुगतान के रूप में नह□□ माना जाएगा। एटीएम से निकासी पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर कार्डधारक कार्ड की बकाया राशि से अधिक भुगतान करते हैं, तो कार्ड खाते में शेष राशि क्रेडिट होगी। इसे कार्ड पर बाद के

ट्रांजैक्शन में एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि, इस अतिरिक्त क्रेडिट राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जा सकता है।

iv. बिलिंग विवाद समाधान:

अगर कार्डधारक विवरण में दर्शाए गए शुल्कों से असहमत हैं, तो विवरण प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर एसबीएम बैंक के पत्राचार पते पर लिखित रूप से सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि विवरण मे दर्शाए गए सभी शुल्क सही हैं।

v. कार्ड जारीकर्ता का पूरा डाक पता
एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड, 101, रहेजा सेंटर, पहली मंजिल, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021, महाराष्ट्र, फोन - +91 22 4302 8888 कार्ड जारीकर्ता संपर्क विवरण: https://www.sbmbank.co.in/aboutus/contact-us.php

D. डिफॉल्ट और परिस्थितियां

i. कार्डधारक को डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट करने की नोटिस अवधि सहित प्रक्रिया:

a. अगर कार्डधारक बिलिंग विवरण में दर्शाई गई तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो इसे डिफॉल्ट माना जाएगा। डिफॉल्टर की स्थिति में, बैंक डिफॉल्ट रिपोर्ट को क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसियों के पास भेज सकता है। भुगतान की देय तिथि और बिलिंग विवरण में दर्शाई गई बिलिंग तिथि के बीच की अवधि के लिए कार्डधारक को डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट करने को नोटिस अवधि माना जाता है। क्रेडिट कार्ड सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तें पूरक कार्डधारकों (अगर कोई हो) पर भी लागू होंगी।

b. अगर ग्राहक द्वारा देय कोई बकाया राशि विवादित है और समीक्षाधीन है, तो डिफॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की प्रक्रिया और बकाया राशि के निपटान के बाद डिफॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की अवधि इस प्रकार है:

c. एसबीएम बैंक हर 2 सप्ताह में कार्डधारकों का डेटा सीआईसी को प्रस्तुत करता है। इस डेटा में पिछले महीने के सभी कार्डधारकों, डिफॉल्टर और वर्तमान दोनों, की पुनर्भुगतान स्थिति शामिल होती है।

d. विवाद का समाधान होने तक कार्डधारक द्वारा 'धोखाधड़ी' के रूप में विवादित ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

ii. डिफॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की प्रक्रिया और बकाया राशि के निपटान के बाद डिफॉल्ट रिपोर्ट वापस लेने की अवधि:

a. एक बार डिफॉल्ट रिपोर्ट सिबिल को प्रस्तुत कर दी गई है, तो रिपोर्ट वापस नहीं ली जाएगी। हालांकि, अगर ग्राहक द्वारा बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो यह रिपोर्ट बैंक द्वारा साझा की जाएगी, जो निपटान की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर सिबिल के साथ साझा की जाएगी।

b. इसके अलावा, विवादित कार्ड्स के संबंध में सिबिल को प्रकटीकरण केवल विवाद के निपटारे के बाद ही किया जाएगा।

iii. डिफॉल्ट की स्थिति में रिकवरी प्रक्रिया:

a. डिफॉल्ट की स्थिति में, आपको बकाया राशि के निपटान के लिए डाक, टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे निम्न तरीकों में से किसी के द्वारा रिमाइंडर भेजे जाएंगे। अगर नियमित माध्यमों से आपसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो बकाया राशि की याद दिलाने, फॉलोअप कार्रवाई करने और वसूलने के लिए थर्ड पार्टी को नियुक्त किया जा सकता है। आपके निवास/कार्यालय/फोन पर आपके पति/पत्नी/माता-पिता/परिवार के अन्य वयस्क सदस्य/सचिव/अकाउंटेंट या अन्य सहकर्मी (अगर उपलब्ध हो) को सीधे मैसेज दिया जा सकता है। नियुक्त किया गया ऐसा कोई भी थर्ड पार्टी लोन रिकवरी संबंधी आचार संहिता का पूरी तरह पालन करेगा।

अगर बकाया राशि का भुगतान 60 डीपीडी (भुगतान की देय तिथि से) के भीतर नहीं किया जाता है, तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (डिपॉजिट्स) को समय से पहले तोड़ने या बैंक द्वारा प्रस्तावित फिक्स्ड डिपॉजिट (डिपॉजिट्स) को एडजस्ट करने या बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकता है।

नॉन-परफार्मिंग एसेट (एनपीए) एक लोन या एडवांस है, जहां: ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए किसी टर्म लोन की राशि बकाया रहती है। अगर विवरण में दर्ज न्यूनतम देय राशि, विवरण में दर्ज भुगतान की देय तिथि से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से चुकाई नहीं जाती है, तो क्रेडिट कार्ड खाते को नॉन-परफार्मिंग एसेट माना जाएगा।

देय राशि का भुगतान न करने के कारण हुई देरी और बाद में ईओडी प्रक्रिया (फरवरी को गैर-लीप वर्ष माह मानते हुए) के दौरान मानक श्रेणी में अपग्रेड होने के आधार पर, एसएमए (स्पेशल मेंशन अकाउंट) श्रेणी से एनपीए (नॉन-परफार्मिंग एसेट) श्रेणी में खाते के बदलाव का उदाहरण नीचे दिया गया है।

(यहां दर्ज देय राशि, लोन स्टेटमेंट में दर्ज न्यूनतम देय राशि/ईएमआई राशि है)।

एसएमए की उप-श्रेणियां	**वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि का पूरी तरह या आंशिक रूप से बकाया के लिए श्रेणियां**
एसएमए-0	30 दिनों तक
SMA-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
SMA-2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक

टेबल संख्या - 12

भुगतान की देय तिथि	भुगतान तिथि	भुगतान कवर	सबसे पुराने बकाया का दिन	एसएमए/एनपीए वर्गीकरण	एसएमए से / एसएमए वर्गीकरण तिथि	एनपीए वर्गीकरण	एनपीए की तिथि
01.02.2022	01.02.2022	भुगतान बकाया जैसा कि 01.01.2022 तक विवरण में उल्लेखित है	0	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
		01.02.2022 और 01.03.2022 की पूरी बकाया राशि का 03.03.2022 ईओडी पर	31	SMA-1	01.02.2022/ 03.03.2022	लागू नहीं	लागू नहीं

		भुगतान नहीं किया गया					
		01.02.2022 की बकाया राशि का पूरा भुगतान किया गया, 01.03.2022 की बकाया राशि का 01.03.2022 ईओडी पर भुगतान नहीं किया गया	1	एसएमए-0	01.03.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
01.04.2022		01.02.2022 , 01.03.2022 की बकाया राशि और 01.04.2022 को देय राशि का 01.04.2022 ईओडी पर भुगतान नहीं किया गया	60	SMA-1	01.02.2022/03.03.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
		01.04.2022 से 01.02.2022 तक की बकाया राशि का 02.04.2022 ईओडी भुगतान पर नहीं किया गया	61	SMA-2	01.02.2022 / 02.04.2022	लागू नहीं	लागू नहीं
			90	SMA-2		लागू नहीं	लागू नहीं
01.05.2022		01.02.2022 और 01.05.2022 की पूरी बकाया राशि का 01.05.2022 ईओडी पर भुगतान नहीं किया गया			01.02.2022/ 02.04.2022		
		01.05.2022 से 01.02.2022 तक की बकाया राशि का ईओडी 02.05.2022 पर भुगतान नहीं किया गया	91	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02.05.2022
01.06.2022	01.06.2022	ईओडी 01.06.2022 पर 01.02.2022 की बकाया राशि का पूरा भुगतान किया गया	93	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02.05.2022
01.07.2022	01.07.2022	ईओडी 01.07.2022 पर 01.03.2022 और 01.04.2022 की पूरी बकाया राशि का भुगतान किया गया	62	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02.05.2022

01.08.2022	01.08.2022	ईओडी 01.08.2022 पर 01.05.2022 और 01.06.2022 की पूरी बकाया राशि का भुगतान किया गया	32	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02.05.2022
01.09.2022	01.09.2022	ईओडी 01.09.2022 पर 01.07.2022 और 01.08.2022 की पूरी बकाया राशि का भुगतान किया गया	1	एनपीए	लागू नहीं	एनपीए	02.05.2022
01.10.2022	01.10.2022	01.09.2022 और 01.10.2022 की पूरी बकाया राशि का भुगतान किया गया	0	मानक खाता जिसमें कोई बकाया नहीं है	लागू नहीं	लागू नहीं	01.10.2022 से एसटीडी

टेबल संख्या – 13

iv. कार्डधारक की मृत्यु/स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में बकाया राशि की रिकवरी:
कार्डधारक के उत्तराधिकारियों/नॉमिनी/कानूनी वारिसों को बकाया राशि के भुगतान और बकाया राशि से संबंधित सभी जानकारी के लिए पर्याप्त सूचना देने के बाद, यह कानूनों के अनुसार लागू होगी।

v. कार्डधारकों के लिए उपलब्ध बीमा कवर (अगर कोई हो) और नॉमिनी विवरण सहित पॉलिसी के एक्टिवेशन की तिथि – लागू नहीं।

E. कार्ड सदस्यता की समाप्ति/कैंसलेशन

i. कार्डधारक द्वारा कार्ड सरेंडर/बंद करने की प्रक्रिया:
कार्डधारक किसी भी समय पूर्व सूचना देकर या बिना पूर्व सूचना दिए कार्ड खाता समाप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। दुरुपयोग से बचने के लिए, क्रेडिट कार्ड को चार टुकड़ों में काटने की सलाह दी जाती है ताकि होलोग्राम और चुंबकीय पट्टी स्थायी रूप से नष्ट हो जाएं।

ii. वेबसाइट पर उपरोक्त के लिए विशेष रूप से लिंक प्रदान किया गया है: https://www.sbmbank.co.in/aboutus/contact-us.php

iii. कार्डधारक द्वारा कार्ड बंद करने/हॉट लिस्टिंग शुरू करने के लिए संपर्क विवरण – ईमेल आईडी, एसएमएस के लिए समर्पित टेलीफोन नंबर, आईवीआरएस:

- आप बैंक से customercare@sbmbank.co.in पर और 1800 2099 335 / 1800 1033 817 पर संपर्क कर सकते हैं।

- समापन तभी प्रभावी होगा, जब एसबीएम बैंक को उक्त कार्ड खाते से संबंधित सभी देय और बकाया राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा।

- ग्राहकों से अनुरोध है कि वे कार्ड बंद करने का अनुरोध शुरू करने से पहले अपने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान कर दें।
अगर क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करने से पहले कार्ड बंद किया जाता है, तो बैंक क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि (ब्याज और शुल्क (अगर कोई हो) सहित) वसूलने के लिए क्रेडिट

कार्ड से जुड़ी सभी फिक्स्ड डिपॉजिट्स को समाप्त कर देगा। इस तरह के समापन को फिक्स्ड डिपॉजिट्स की समय-पूर्व निकासी माना जाएगा और फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज दर* के 1% के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि और समय-पूर्व निकासी जुर्माने के एडजस्टमेंट के बाद शेष राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी।

**मेच्योरिटी तिथि से पहले निकाली गई फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए, ब्याज उस राशि और अवधि पर लागू दर पर दिया जाएगा जिसके लिए जमा बैंक में रहा, न कि अनुबंधित दर पर। इसके अलावा, अगर डिपॉजिट्स की समय-पूर्व निकासी न्यूनतम 7 दिनों क□ अवधि पूरी होने से पहले की जाती है, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।*

iv. अगर कार्ड का उपयोग एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं किया गया है, तो कार्ड खाता बंद करने की प्रक्रिया:

कृपया ध्यान दें कि अगर क्रेडिट कार्ड का उपयोग लगातार 1 (एक) वर्ष तक नहीं किया गया है, तो बैंक कार्डधारक को कार्ड का उपयोग न करने की सूचना देगा और कार्डधारक से ऐसी सूचना की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर कार्ड का उपयोग शुरू करने का अनुरोध करेगा। अगर कार्डधारक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है या कार्डधारक 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर कार्ड का उपयोग शुरू नहीं करते हैं, तो बैंक द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा, बशर्ते कार्डधारक द्वारा सभी देय राशि का भुगतान किया जाए।

F. कार्ड की हानि/चोरी/दुरुपयोग

i. कार्ड के खो जाने/चोरी हो जाने/दुरुपयोग होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया - कार्ड जारीकर्ता को सूचना देने का तरीका:

कार्ड के खो जाने/चोरी हो जाने/दुरुपयोग हो जाने की स्थिति में, बैंक अपनी वेबसाइट पर अपडेट 'ग्राहक सुरक्षा नीति' द्वारा निर्देशित होगा, जिसे समय-समय पर अपडेट किए जाने वाले 'ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ग्राहकों की देयता सीमित करना' पर आरबीआई के परिपत्र के आधार पर तैयार किया गया है। (आरबीआई परिपत्र - संदर्भ DBR.सं. Leg. BC.78/ 09.07.005/2017-18 दिनांक 6 जुलाई, 2017) कृपया ध्यान दें कि आप https://www.sbmbank.co.in/pdf/notice-board/Customer_Compensation_Policy.pdf पर जाकर ग्राहक सुरक्षा पॉलिसी नोट देख सकते हैं।

ii. अनधिकृत ट्रांजैक्शन की सूचना देने और कार्ड ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वेबसाइट लिंक, फोन बैंकिंग, एसएमएस, ईमेल, आईवीआर, एक समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन, निकटतम शाखा को ईमेल आईडी रिपोर्टिंग आदि:

अगर किसी ग्राहक को किसी अनधिकृत ट्रांजैक्शन का संदेह है, तो ग्राहक को आगे अनधिकृत ट्रांजैक्शन या दुरुपयोग से बचने के लिए कार्ड ब्लॉक करने हेतु निम्न माध्यमों से बैंक को सूचित करना चाहिए। कार्ड के खो जाने/चोरी हो जाने/दुरुपयोग हो जाने की स्थिति में, ग्राहक नीचे दिए गए माध्यमों से अनुरोध करके कार्ड को तुरंत हॉटलिस्ट/ब्लॉक कर सकते हैं।

अगर कार्ड खो जाए, चोरी हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, देय तिथि पर प्राप्त न हो या उसे संदेह हो कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग कार्डधारक की अनुमति के बिना किया जा रहा है, तो कार्डधारक को तुरंत 24 घंटे उपलब्ध कॉल सेंटर - 1800 2099 335 / 1800 1033 817 पर सूचित करना होगा। एक बार कार्ड खो जाने की सूचना मिलने के बाद, कार्डधारक को बाद में मिलने पर भी, किसी भी परिस्थिति में उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। कार्ड

के खो जाने/चोरी हो जाने/दुरुपयोग हो जाने की स्थिति में, ग्राहक तुरंत कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं।

iii. समय-समय पर अपडेट किए गए 'ग्राहक संरक्षण - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ग्राहकों की देयता सीमित करना' पर दिनांक 6 जुलाई, 2017 के आरबीआई परिपत्र संदर्भ DBR सं. Leg BC 78/09 07 2005/2017-18 के अनुसार उपरोक्त (i) के मामले में कार्डधारक की देयता:

कार्ड खो जाने की सूचना देने से पहले कार्ड खाते में हुए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बैंक उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं है, और कार्डधारक इसके लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा। बैंक द्वारा नुकसान की उचित सूचना प्राप्त होने के बाद, कार्डधारक की आगे की देयता शून्य हो जाती है। कार्ड के खो जाने या चोरी होने की सूचना एसबीएम बैंक को देने के अलावा, कार्डधारक को कार्ड की किसी भी चोरी की सूचना पुलिस को देनी होगी और प्राथमिकी दर्ज करानी होगी और पुलिस शिकायत की पावती प्रति बैंक को देनी होगी।

कार्डधारक की सहमति से पिन या कार्ड प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा कार्ड का दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में सभी नुकसानों के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा। कार्डधारक का यह दायित्व है कि वह कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए सभी उचित कदम उठाए और पिन, वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अन्य टोकन/कोड को किसी भी ऐसे रूप में रिकॉर्ड न करे, जिसे किसी थर्ड पार्टी द्वारा प्राप्त किया जा सके या अन्यथा उस तक पहुंचा जा सके, अगर ऐसे रिकॉर्ड तक ईमानदारी से या बेईमानी से पहुंचने की शंका हो है।

अगर कार्डधारक ने धोखाधड़ी की है, तो कार्डधारक सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी होगा। अगर कार्डधारक उचित सावधानी के बिना कार्य करता है, तो कार्डधारक सभी नुकसानों के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

एसबीएम बैंक, कार्डधारक को सूचित किए बिना, पुलिस या संबंधित अधिकारियों को कार्ड या पिन के नुकसान, चोरी या दुरुपयोग के बारे में कोई भी जानकारी दे सकता है जिसे एसबीएम बैंक उपयोगी मानेगा।

कार्ड पिन/कोड जारी करने के दौरान बैंक अपनी ओर से उचित सावधानी बरतेगा। बैंक ग्राहक/कार्डधारक के किसी भी गोपनीय डेटा को केवल उक्त ग्राहक/कार्डधारक के साथ साझा करना सुनिश्चित करता है।

आरबीआई के आदेश के अनुसार, आपके क्रेडिट कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन के प्रकार और उद्देश्य के आधार पर, ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे एफसीआरए खातों के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से कोई भुगतान न करें। अगर इन खातों के माध्यम से कोई भुगतान देखा जाता है, तो ग्राहकों को गृह मंत्रालय से एक नोटिस प्राप्त हो सकता है जिसमें ऐसे भुगतानों के लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

एसबीएम बैंक, कार्डधारक के हितों की रक्षा करने और कार्ड खाते के किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिए, क्रेडिट कार्ड के साथ छेड़छाड़ के संदिग्ध जोखिम पर क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्डधारक किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉक किए गए कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर एसबीएम बैंक द्वारा संभावित धोखाधड़ी के जोखिम के बारे में सूचित किए जाने के बाद भी, कार्डधारक कार्ड को अनब्लॉक करने का अनुरोध करता है, तो एसबीएम बैंक कार्ड के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग या अन्यथा, उसके बाद उसे सूचित किए गए किसी भी धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन के लिए किसी भी तरह

से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

G. शिकायत निवारण और मुआवजा नियम

i. शिकायत निवारण और शिकायत को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया:

अगर आप नियमित माध्यमों से प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप नीचे दिए गए विवरण देख सकते हैं -

	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
टोल फ्री / संपर्क नंबर	1800 2099 335,1800 1033 817	022 4302 8888	022 4302 8888
ईमेल आई डी	customercare @ sbmbank.co.in	सुश्री रीमा दलवे – nodal.officer@sbmbank.co.in	principalnodalofficer@sbmbank.co.in

टेबल संख्या – 14

हमारे बैंक का पंजीकृत कार्यालय है - एसबीएम बैंक इंडिया, पहली मंजिल, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र 400021।

किसी विवाद की स्थिति में, बैंक कार्डधारक को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले रिपोर्टिंग प्रक्रिया में उपयुक्त संशोधन करेगा। हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सूचना का ऐसा प्रकटीकरण/जारी करना ऐसे विवादों की जांच और निपटान के लिए उपलब्ध समय पर निर्भर करेगा।

इस स्तर से आगे, आप बैंक के एस्केलेशन मैट्रिक्स के अनुसार उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर उपरोक्त माध्यमों से संपर्क करने के बाद भी 30 दिनों से अधिक समय तक समस्या का समाधान नहीं होता है, या अगर प्रतिक्रिया असंतोषजनक है, तो आप स्वतंत्र समीक्षा के लिए बैंकिंग लोकपाल को https://www.sbmbank.co.in/aboutus/grievance-redressal-mechanism.php पर लिख सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/ पर उपलब्ध है।

ii. शिकायतों के निवारण की समय-सीमा:

ग्राहक की शिकायत का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है या शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना का विवरण भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वेबसाइट https://www.rbi.org.in/ पर उपलब्ध है।

iii. असफल/विफल ट्रांजेक्शन, शिकायत निवारण में देरी, खाता बंद करने में देरी/खोए या चोरी हुए कार्ड को ब्लॉक करने आदि के लिए क्षतिपूर्ति नियम:

असफल/अप्रत्याशित घरेलू ट्रांजैक्शन: असफल ट्रांजेक्शन/विफलता की स्थिति में, टीएटी के सामंजस्य के अनुसार, अगर मर्चेंट का दावा नहीं होता है, तो बैंक 5 दिनों के भीतर रोकी

गई राशि को वापस कर देगा। अगर मर्चेंट ऐसे ट्रांजैक्शन का दावा करता ह□, तो फ्रैंचाइजी दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित विवाद प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

- अगर यह स्थापित हो जाता है कि बैंक ने प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति के बिना क्रेडिट कार्ड जारी और सक्रिय किया था, तो बैंक तुरंत शुल्क वापस कर देगा और प्राप्तकर्ता को बिना किस□ आपत्ति के इस संबंध में वापस किए गए शुल्कों के मूल्य का दोगुना जुर्माना अदा करेगा।
- ग्राहकों द्वारा गलत बताए गए ट्रांजेक्शन, जिनके लिए किसी मर्चेंट प्रतिष्ठान का विशिष्ट संदर्भ आवश्यक है, कार्ड नेटवर्क (वीजा/मास्टरकार्ड/रुपे) द्वारा निर्धारित चार्जबैक नियमों के अनुसार निपटाए जाएंगे। बैंक ग्राहक को अधिकतम साठ दिनों के भीतर स्पष्टीकरण और, अगर आवश्यक हो, तो दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करेगा।
- कार्ड जारीकर्ता द्वारा सात कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड बंद करने की प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहने पर, ग्राहक को क्रेडिट कार्ड बंद होने तक प्रत्येक कैलेंडर दिन के लिए 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, बशर्ते क्रेडिट कार्ड खाते में कोई बकाया न हो।

iv. पार्टनर का संपर्क विवरण

क्रमांक	ब्रांड	पार्टनर का नाम	ईमेल आईडी	ग्राहक सेवा संख्या
1	एसबीएम मोबिक्विक फर्स्ट	वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड	grievance@mobikwik.com	8069808320
2	एसबीएम जेडईटी	विस्टास टेक्नोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड	care@zetapp.in	9910992875
3	एसबीएम क्रेडिट.पे	डब्ल्यूटेक्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड	support@kredit.pe	8069858555
4	एसबीएम क्रेडिलियो	क्रेडिलियो	sbmcrediliocard@credilio.in	7900033833
5	एसबीएम मैग्नेट	विस्टास टेक्नोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड	care@zetapp.in	9910992875
6	एसबीएम नियो ग्लोबल	मर्केटस ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड	global@goniyo.com	18602586496
7	एसबीएम पैसाबाजार स्टेप अप	पैसा बाजार	stepupcare@paisabazaar.com	1800 258 5616
8	एसबीएम पैसाबाजार पैसा +	पैसा बाजार	care@paisabazaar.com	1800 258 5616

टेबल संख्या 15

H. प्रकटीकरण

- बैंक कार्डधारक, पुनर्भुगतान विवरण आदि के बारे में सभी उपलब्ध जानकारी क्रेडिट सूचना ब्यूरो या कानून द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसियों को देगा। एसबीएम बैंक आवेदन पत्र और उसके साथ दिए गए दस्तावेजों (जिनमें फोटो भी शामिल हैं) को अपने पास रखने का अधिकार सुरक्षित रखता ह□ और उन्हें वापस नहीं करेगा।
- एसबीएम बैंक किसी भी बकाया ग्राहक की रिपोर्ट सीआईसी को करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, भले ही कार्डधारक ने कोई बिलिंग विवाद उठाया हो, जिसे बैंक ने पहले ही अमान्य विवाद घोषित कर दिया हो या कार्डधारक द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि के बाद विवाद उठाया गया हो, और/या विवाद सुरक्षित ट्रांजैक्शन से संबंधित हो जहां पिन या वन-टाइम पासवर्ड का उपयोग किया गया हो।
- एसबीएम बैंक, अपने विवेकानुसार, कार्डधारक और बैंक के प्रतिनिधि के बीच विशिष्ट

बातचीत को रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे वह शिकायत-संबंधी बातचीत हो या भुगतान रिकवरी-संबंधी बातचीत हो, या कोई अन्य बातचीत हो, जिसे बैंक उचित समझे।

- एसबीएम बैंक अपने विवेकानुसार, कार्डधारक की स्वीकृति से या उसके बिना, अपने उत्पाद के संबंध में आवश्यक या अनिवार्य शर्तों पर बाहरी सेवा प्रदाता/प्रदाताओं या एजेंट/एजेंटों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

I. रिवॉर्ड / कैश पॉइंट्स

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स के लिए, कृपया एसबीएम बैंक की वेबसाइट पर संबंधित कार्ड प्रोग्राम- https://www.sbmbank.co.in/personal-banking/cards/secured-credit-card

J. महत्वपूर्ण नियामक जानकारी

i) आपका एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भारत और विदेश दोनों में उपयोग के लिए मान्य है।

ii) इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल के माध्यम से फॉरेक्स एक्सचेंज की अनुमति नहीं है। किसी भी उल्लंघन या अनुपालन में विफलता की स्थिति में, आप दंडात्मक कार्रवाई और/या एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

K. एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में अधिक जानकारी

- एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, बैंक द्वारा जारी किय गया एक क्रेडिट कार्ड है, जो उस व्यक्ति द्वारा बनाई और बनाए रखी गई फिक्स्ड डिपॉजिट ("एफडी") के विरुद्ध जारी किया जाता है जो बैंक में कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
- एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के पात्र होने के लिए, आप ऐप के माध्यम से बैंक में न्यूनतम दो हजार रुपये (2,000 रुपये) से शुरू होने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट बना सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एफडी की सीमाएं अलग-अलग होती हैं, अधिक जानकारी के लिए एसबीएम बैंक की वेबसाइट देखें। कृपया ध्यान दें कि अगर कोई व्यक्ति एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है, तो उसे ऐप के माध्यम से ही फिक्स्ड डिपॉजिट (फिक्स्ड डिपॉजिट) बनाना होगा। किसी भी आवेदक को किसी भी समय केवल एक ही एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा।
- आपको बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से और संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट बनाना होगा। बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट ऑटोमेटिक रिन्यूअल मोड पर होगा।
- एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी होने पर, बैंक के सामान्य लियन और सेट-ऑफ के अधिकार के अलावा, बैंक बकाया राशि का भुगतान करने य फिक्स्ड डिपॉजिट की मेच्योरिटी (जैसी भी स्थिति हो) के बाद एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की समाप्ति तक आपके द्वारा जमा की गई पूरी फिक्स्ड डिपॉजिट राशि पर (आपके द्वारा अर्जित ब्याज को छोड़कर) लियन चिह्नित करेगा।
- एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड तभी एक्टिव होगा और आपके उपयोग के लिए उपलब्ध होगा जब आपके द्वारा बनाई गई फिक्स्ड डिपॉजिट पर लियन चिह्नित हो जाएगा।
- किसी एक व्यक्ति के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे और फिक्स्ड डिपॉजिट मोबाइल ऐप के माध्यम से खोला जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट

सुविधा के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

- फिक्स्ड डिपॉजिट की समाप्ति/निकासी/कैंसलेशन की स्थिति में या अगर आप कार्ड स्टेटमेंट में दर्ज नियत तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते ह□□, या आपकी मृत्यु के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट की समाप्ति की स्थिति में, बैंक अर्जित ब्याज सहित पूरी फिक्स्ड डिपॉजिट राशि को तुरंत समाप्त करने और क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक को देय बकाया राशि के लिए उस राशि को एडजस्ट करने का हकदार होगा। उपरोक्त कटौती के बाद शेष राशि आपको वापस कर दी जाएगी और बची बकाया राशि का तुरंत भुगतान करना होगा। आपके दुर्भाग्यपूर्ण निधन की स्थिति में, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड समाप्त हो जाएगा। संबंधित एफडी के नॉमिनी को कुल बकाया राशि की कटौती के बाद निपटान मिलेगा। इसके अलावा, बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, बैंक आपके द्वारा धारित एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को आरबीआई द्वारा अधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को बकाया के रूप में रिपोर्ट करेगा और ऐसी रिपोर्टिंग आपके क्रेडिट स्कोर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
- कार्डधारकों के पास बैंक के पूर्ण विवेक पर मोबाइल ऐप के माध्यम से एक नया फिक्स्ड डिपॉजिट बनाकर फिक्स्ड डिपॉजिट को टॉप-अप करने का विकल्प है।

L. ग्राहक की जानकारी की गोपनीयता

एसबीएम बैंक अपने विवेकानुसार किसी भी थर्ड पार्टी को कोई भी गतिविधि सौंप सकता है और ऐसी थर्ड पार्टी एजेंसियों को खाते का विवरण प्रदान कर सकता है, जिसका उद्देश्य बैक ऑफिस प्रोसेसिंग और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आउटसोर्स की गई अन्य गतिविधियां जैसे कार्ड उत्पादन/प्रिंटिंग/वैयक्तिकरण, प्रेषण, कार्ड ट्रांजैक्शन स्विचिंग/प्राधिकरण/निपटान, कार्ड मेंटेनेंस, रिवॉर्ड मैनेजमेंट, सर्विसिंग आदि हैं। इस संबंध में, कार्डधारक यह समझता है कि बैंक को कार्डधारक, खाते और/या ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी को बैंक के भीतर या बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी संस्थान या एजेंट या थर्ड पार्टी के साथ प्रोसेस करने, साझा करने, स्टोर करने या प्रेषित करने के लिए बैंक को अधिकृत करना होगा, जो वेंडर के प्रकार की सांकेतिक सूची प्रदान करना और उल्लेख करना आदि, इस खंड को सुविधाजनक बनाए रखने के लिए होगा। बैंक यह वचन देता है कि सूचना की ऐसा कोई भी प्रोसेसिंग, साझाकरण, भंडारण या प्रेषण गोपनीय आधार पर किया जाएगा और बैंक ऐसी सूचना की बैंक के भीतर सख्त गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास करेगा, जब तक कि (क) किसी लागू कानून, विनियमन या किसी सार्वजनिक या नियामक प्राधिकरण के अनुरोध द्वारा अन्यथा अपेक्षित या अनुमत न हो; या (ख) धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से प्रकटीकरण आवश्यक हो; या (ग) बैंक डेबिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए प्रकटीकरण को आवश्यक न समझे। बैंक कानून द्वारा अनुमत सीमा के अलावा किसी भी थर्ड पार्टी को कार्डधारक संबंधी किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करेगा।

M. राजस्व साझाकरण

एसबीएम बैंक और के बीच साझा राजस्व का विवरण नीचे दिए गए लिंक के अनुसार होगा।
https://www.sbmbank.co.in/pdf/SBM-Bank-India-Revenue-Sharing-Declaration.pdf

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एमआईटीसी और कार्ड धारक अनुबंध

<u>कार्ड सदस्य अनुबंध</u>

<u>विषय-सूची (कार्ड सदस्य धारक अनुबंध)</u>

1. परिभाषा और व्याख्या...

2. कार्ड सेवाएं..

3. मोबाइल एप्लीकेशन...

4. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड...

5. एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग...

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एमआईटीसी और कार्ड धारक अनुबंध

6. एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड और ऐप उपयोग के लिए पहचान सत्यापन.....................

7. कार्ड सदस्यता का उल्लंघन, समर्पण और समाप्ति/कैंसलेशन.....................................

8. शुल्क और भुगतान..

9. खोया, चोरी हुआ या दुरुपयोग किया गया क्रेडिट कार्ड/खोया हुआ फोन........................

10. दायित्व..

11. दायित्व का अपवाद...

12. कलेक्शन...

13. विवादों का मध्यस्थता और समाधान...

14. वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता...

15. क्रेडिट ट्रांजैक्शन..

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एमआईटीसी और कार्ड धारक अनुबंध

16. प्रकटीकरण...
....
17. विवादों का
निपटारा...
....
18. एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड-सिक्योर्ड क्रेडिट
कार्ड..
19. नियम और
शर्तें...
....

ये नियम और शर्तें ("**नियम**") एसबीएम बैंक (**इंडिया**) लिमिटेड ("बैंक") द्वारा जारी **एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड** पर लागू होती हैं। वेबसाइट/ऐप से अपने एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने या 'सबमिट' या 'मैं सहमत हूं' या किसी समान टैब/आइकॉन पर क्लिक करने का अर्थ होगा कि कार्डधारक/कार्ड सदस्य ("आप" या "आपका") द्वारा नीचे दिए गए नियमों और शर्तों को स्वीकार किया जाता है।
ये नियम समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।

1. **परिभाषाएं और व्याख्या**

1.1 "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति, जिन्होंने एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है

1.2 "ऐप पिन" का अर्थ है मोबाइल एप्लीकेशन को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए कार्डधारक द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन से बनाया गया व्यक्तिगत पहचान संख्या।

1.3 "अधिकृत डीलर" का अर्थ समय-समय पर संशोधित फॉरेक्स प्रबंधन अधिनियम, 1999 में परिभाषित एक अधिकृत डीलर है।

1.4 "बैंक" का अर्थ एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता होगा।

1.5 "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है जिस दिन बैंक का संबंधित कार्यालय सामान्य व्यावसायिक ट्रांजैक्शन के लिए खुला रहता है।

1.6 "कार्ड जारीकर्ता" का अर्थ एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड है जिसे आरबीआई द्वारा भारत में क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है।

1.7 "कार्डधारक" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसे कार्ड जारीकर्ता द्वारा ऐप/वेबसाइट के माध्यम से एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है।

1.8 "शुल्क" का अर्थ ऐसे शुल्क हैं जो एमआईटीसी और केएफएस दस्तावेजों में निर्धारित हैं। यहां

दर्ज शुल्कों का सभी विवरण एमआईटीसी में दिए गए अनुसार ही लागू होगा, जब तक कि कार्डधारक को समय-समय पर संशोधित रूप में विशेष रूप से सूचित न किया जाए।

1.9 "क्रेडिट सीमा/खरीद सीमा" का मतलब वह सीमा है, जिस तक कार्डधारक को ऑनलाइन/ऑफलाइन मर्चेंट प्रतिष्ठान पर खरीद ट्रांजैक्शन के लिए एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क उपयोग करने की अनुमति है।

1.10 "ग्राहक सेवा" का अर्थ बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा और सहायता प्रणालियों से है।

1.11 "बायोमेट्रिक लॉक" का अर्थ है कार्डधारक के फिंगरप्रिंट/फेस आईडी को लॉकिंग तंत्र के रूप में उपयोग करके एप्लीकेशन को सुरक्षित करना।

1.12 मर्चेंट प्रतिष्ठान का अर्थ है ऐसा प्रतिष्ठान जो एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है और इसमें बिना किसी सीमा के, स्टोर, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, एयरलाइंस और मेल ऑर्डर विज्ञापनदाता (चाहे खुदरा विक्रेता, वितरक या निर्माता हों) शामिल होंगे और ऐसे प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं।

1.13 "मर्चेंट" का अर्थ ऐसे किसी व्यक्ति से है जो मर्चेंट प्रतिष्ठान, उसके उत्तराधिकारियों और अनुमत नियुक्तियों का स्वामी है, उनको मैनेज करता है या उनका संचालन करता है।

1.14 "न्यूनतम देय राशि" या "एमएडी" का अर्थ एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दर्ज राशि है, जो कार्डधारक द्वारा कार्ड खाते को अच्छी स्थिति में रखने के लिए भुगतान की देय तिथि तक किया जाने वाला न्यूनतम भुगतान है।

1.15 "एमआईटीसी" का अर्थ है एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर दी जाने वाली सेवाओं के लिए लागू शुल्कों की सूची के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें युक्त दस्तावेज। ये शुल्क बैंक के पूर्ण विवेक पर परिवर्तन के अधीन हैं। हालांकि, शुल्कों में ऐसे परिवर्तन केवल भावी प्रभाव से ही किए जाएंगे, जिसक लिए कार्डधारक को 30 (तीस) दिन पहले पूर्व सूचना देनी होगी।

1.16 "एसबीएम" सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खाता का अर्थ है, यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के उपयोग के उद्देश्य से कार्डधारक के नाम पर खोला गया खाता।

1.17 "एसबीएम सुरक्षित क्रेडिट कार्ड पिन" का अर्थ है कार्डधारक द्वारा ऐप से बनाया गया व्यक्तिगत पहचान नंबर, जो एसबीएम सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य करता है।

1.18 "भुगतान देय तिथि" का अर्थ है, हर महीने की वह तिथि, जिस दिन एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर लगने वाले शुल्कों का भुगतान देय होता है।

1.19 "प्राथमिक कार्डधारक" वह व्यक्ति ("आप") है जिसके नाम पर कार्ड खाता खोला गया है और जिसे एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है;

1.20 "आरबीआई" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक

1.21 "स्टेटमेंट" का अर्थ है कार्डधारक को भेजा जाने वाला मासिक खाता विवरण जिसमें ट्रांजैक्शन की सूची, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले शुल्क, देय राशि और भुगतान की तिथि शामिल होती है।

1.22 "कुल देय राशि" या "टीएडी" का अर्थ है विवरण में दर्ज कुल बकाया राशि।

1.23 "ट्रांजैक्शन निर्देश" का अर्थ है कार्डधारक द्वारा बैंक को और/या ऐप या ग्राहक सेवा के माध्यम से ट्रांजैक्शन को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया कोई भी निर्देश।

1.24 "वर्चुअल क्रेडिट कार्ड" का अर्थ एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का एक वर्चुअल संस्करण होगा जिसका उपयोग ऑनलाइन या ऐप-आधारित ट्रांजैक्शन के लिए किया जा सकता है।

2. कार्ड सेवाएं

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बैंक की संपत्ति है। बैंक निम्न अधिकार सुरक्षित रखता है:

2.1 क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट और अन्य आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करके आपकी क्रेडिट योग्यता का पता लगाना।

2.2 अपने विवेकाधिकार से आपको एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने से मना करना। एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर योग्य नहीं है और इसका उपयोग यहां दर्ज नियमों और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अतिरिक्त शर्तों के अधीन है।

2.3 कार्ड आरक्षित होने से लेकर जारी होने तक क्रेडिट सीमा में परिवर्तन;

2.4 केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों और अन्य दिशानिर्देशों को पूरा करने के अधीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया।

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्राप्त होते ही कृपया उसके पीछे हस्ताक्षर करें।

ऐप और ग्राहक सेवा विकल्प सभी कार्डधारकों के लिए उपलब्ध हैं।

ऐप और/या ग्राहक सेवा के माध्यम से क्रेडिट सीमा में वृद्धि, ट्रांजैक्शन की पूछताछ, कुल देय राशि, स्टेटमेंट विवरण, भुगतान की नियत तारीख आदि सहित किसी भी सेवा/सुविधा का लाभ उठाने वाले कार्डधारक, समय-समय पर संशोधित सेवाओं/सुविधाओं और ऐसी सुविधाओं/सेवाओं को प्राप्त करने के तरीके के संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों से हमेशा बाध्य रहेंगे।

3. **मोबाइल एप्लीकेशन**: आप एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से मोबाइल एप्लीकेशन से नियंत्रित कर सकते हैं, जिनमें से कुछ क्रियाएं इस प्रकार हैं:

3.1 अपना ऐप पिन सेट करें

3.2 अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करें

3.3 क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान करें

3.4 अपना वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मैनेज करें

3.5 ऑनलाइन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग सक्षम करें

3.6 अपना एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन सेट करें (पॉइंट ऑफ सेल और एटीएम पर उपयोग के लिए)

4. वर्चुअल क्रेडिट कार्ड

4.1 फिजिकल एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के अलावा, आपको ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में उसी एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का एक वर्चुअल संस्करण भी प्राप्त होगा जो ऐप पर उपलब्ध होगा।

4.2 यह वर्चुअल कार्ड एक रुपे/वीजा संचालित (जारी नेटवर्क के अनुसार) क्रेडिट कार्ड है जिसका उपयोग आप किसी भी ऑनलाइन या मोबाइल एप्लीकेशन-आधारित ट्रांजैक्शन या खरीदारी के लिए कर सकते हैं। सुरक्षा मानदंड उद्योग मानकों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

5. एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग

5.1 आपका एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य क्रेडिट कार्ड है और नीचे दिए गए खंड 5.12 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, दुनिया भर में मान्य है। एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाले किसी भी मर्चेंट प्रतिष्ठान (जारी नेटवर्क के अनुसार) पर स्वीकार्य है। कृपया एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल अपने वास्तविक व्यक्तिगत या आधिकारिक उद्देश्य के लिए करें।

5.2 हालांकि, बैंक बकाया राशि/एनपीए के कारण एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के उपयोग को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन यह नियामक प्रतिबंधों, तकनीकी कठिनाइयों और अप्रत्याशित परिस्थितियों तक सीमित नहीं है।

5.3 किसी भी मर्चेंट प्रतिष्ठान को किसी भी समय, किसी भी कारण से उस मर्चेंट प्रतिष्ठान में एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के उपयोग को अस्वीकार करने का अधिकार है।

5.4 आपके द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए मर्चेंट प्रतिष्ठान द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क का भुगतान सीधे मर्चेंट प्रतिष्ठान के साथ किया जाएगा और बैंक किसी भी तरह से प्राप्त सेवा की गुणवत्ता या खरीदी गई वस्तुओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मर्चेंट प्रतिष्ठान में एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय, यह अनुशंसा की जाती है कि आप ट्रांजैक्शन/भुगतान पर्ची की एक प्रति प्राप्त कर लें।

5.5 अगर आप स्टेटमेंट की तिथि से 30 दिनों के भीतर हमें किसी भी गलती की सूचना नहीं देते है□, तो विवरण की सभी सामग्री सही मानी जाएगी और स्वीकार की जाएगी। बिलिंग विवाद/गलती की स्थिति में, बैंक ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए देयता की जांच और पुष्टि करेगा। कुछ विवादों के लिए, बैंक जांच अवधि के दौरान अस्थायी/शैडो लोन प्रदान कर सकता है, जिसे जांच के परिणाम क□ अधीन लागू शुल्कों के साथ वापस लिया जा सकता है।

5.6 आप निम्न के तहत एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं:

5.6.1 आपको सूचित क्रेडिट सीमा के भीतर; और

5.6.2 कार्ड पर प्रदर्शित समाप्ति तिथि के महीने की अंतिम तिथि के बाद नहीं।

5.7 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने का आपका अधिकार निम्न स्थिति में तुरंत निर्धारित किया जाएगा:

5.7.1 नीचे दिए गए खंड 7 के अनुसार समाप्ति की स्थिति में; या

5.7.2 कार्ड के खो जाने/दुरुपयोग या चोरी हो जाने की स्थिति में।

5.7.3 मौजूदा कार्ड को बदलने के लिए, ग्राहक को बैंक के पास एक अनुरोध करना होगा और उस अनुरोध को स्पष्ट सहमति माना जाएगा। मौजूदा कार्ड की समाप्ति पर, आपके पास रिन्यूअल स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प उपलब्ध होगा। अस्वीकार करने पर, अगर क्रेडिट कार्ड पर कोई बकाया नहीं है, तो कार्ड समाप्ति पर बंद कर दिया जाएगा।

5.8 जारी करते समय प्रत्येक एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर कुल क्रेडिट सीमा और कुल नकद सीमा बैंक के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगी।

5.9 आपको एसबीएम सुरक्षित क्रेडिट कार्ड के साथ सभी ट्रांजैक्शन के संबंध में हर समय सद्भावना से कार्य करना होगा।

5.10 आपको जारी किया गया एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नेपाल और भूटान के मर्चेंट प्रतिष्ठानों को छोड़कर, फॉरेक्स में भुगतान के लिए दुनिया भर में मान्य है। नेपाल या भूटान में फॉरेक्स में भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग "फॉरेक्स प्रबंधन अधिनियम" (फेमा) या किसी अन्य संबंधित कानून का उल्लंघन होगा। आप इन शर्तों के उल्लंघन में गलत उपयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और बैंक को किसी भी नुकसान, क्षति, ब्याज, कन्वर्जन, किसी भी अन्य वित्तीय शुल्क की भरपाई करने के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं जो बैंक को इसके प्रावधानों के आपके उल्लंघन के कारण हो सकता है और/या भुगतना पड़ सकता है।

5.11 भारतीय रिजर्व बैंक के 15 जनवरी, 2020 के परिपत्र के अनुपालन में, जारी होने के समय, आपका कार्ड भारत में केवल संपर्क आधारित पीओएस या एटीएम पर उपयोग के लिए सक्षम होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय), अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन और संपर्क रहित ट्रांजैक्शन को सक्षम या अक्षम करने की सुविधा आपको ऐप से प्रदान की जाएगी।

5.12 अपने अंतर्राष्ट्रीय वैध कार्ड का उपयोग इंटरनेट पर या अन्य किसी माध्यम से प्रतिबंधित वस्तुओं जैसे लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या निषिद्ध पत्रिकाएं खरीदने, स्वीपस्टेक्स में भाग लेने, कॉलबैक सेवाओं के लिए भुगतान, विदेशी फॉरेक्स एक्सचेंज के लिए किसी भी रूप में फंड भेजने, विदेशी एक्सचेंजों/विदेशी प्रतिपक्षों को मार्जिन कॉल, घरेलू/विदेशी बाजारों में फॉरेक्स एक्सचेंज आदि के लिए न करें।

5.13 बैंक, कार्डधारक को कोई कारण बताए बिना, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर प्राधिकरण अनुरोधों को अस्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण विवेकाधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रखता है।

5.14 इसके अतिरिक्त, आप सहमत हैं कि आप एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसी भी अवैध/अवैध खरीद/उद्देश्यों के भुगतान के लिए नहीं करेंगे। एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल वैध, प्रामाणिक व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और इसका उपयोग किसी भी धन शोधन, असामाजिक या सट्टा गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए या व्यवसाय में इसका व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

5.15 अगर एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग निषिद्ध, प्रतिबंधित, व्यावसायिक उद्देश्यों या उपरोक्त खंड में दर्ज किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया पाया जाता है, तो बैंक अपने विवेकाधिकार से, आपको कोई सूचना दिए बिना संबंधित एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को बंद करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

5.16 बैंक को फोन पर या औपचारिक संचार के किसी अन्य माध्यम से पूछताछ करने और एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, उपयोग के पैटर्न आदि के बारे में विवरण, जानकारी, प्रमाण आदि मांगने का अधिकार है और आप अनुबंध के तहत बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी अनुरोध किए जाने पर प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। बैंक आपसे एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बारे में पिन, कार्ड नंबर या कोई अन्य विवरण नहीं मांगेगा।

5.17 आपकी ओर से असंतोषजनक प्रतिक्रिया या कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर बैंक आपके एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खाते को ब्लॉक या समाप्त कर सकता है। एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजैक्शन केवल उस समय कार्ड खाते की कुल क्रेडिट सीमा की अप्रयुक्त राशि तक ही अनुमत होंगे।

5.18 अगर ग्राहक द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी होने की तिथि से 30 दिनों से अधिक समय तक उसे एक्टिव नहीं किया जाता है, तो बैंक कार्डधारक से क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के लिए वन

टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति मांगेगा। ग्राहक द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया को एक्टिवेशन माना जा सकत□ है, जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की इच्छा दर्शाती है, जैसे पिन जनरेट करना, ट्रांजैक्शन नियंत्रण में संशोधन, इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस, ग्राहक सेवा केंद्र को रिकॉर्ड की गई कॉल और एसएमएस सुविधा का उपयोग करना।

अगर कार्ड एक्टिवेट करने के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक पर कोई लागत लगाए बिना क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर देगा। रिन्यूअल या रिप्लेसमेंट वाले कार्ड के मामले में, निष्क्रिय कार्ड को बंद करना कार्डधारक द्वारा सभी देय राशि के भुगतान के अधीन होगा।

6. एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड और एसबीएम/पार्टनर ऐप उपयोग के लिए पहचान सत्यापन

6.1 हमने यह सुनिश्चित किया है कि ऐप का उपयोग और/या उसे एक्सेस करने के लिए अपनी पसंदीदा प्रमाणीकरण प्रक्रिया (बायोमेट्रिक लॉक या ऐप पिन) के साथ ऐप पर स्वय□ को प्रमाणित करने के बाद ही आप सुरक्षित वातावरण में ट्रांजैक्शन कर सकें। एक कार्डधारक के रूप में, आपको एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की विशेषताओं और प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आप ऐप के भीतर और अन्य रूप से अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे।

6.2 किसी भी अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, कृपया ऐप पिन या फिंगरप्रिंट लॉक से ऐप एक्सेस को सुरक्षित करें। इसके अलावा, आपको एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का सुरक्षित तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए एक व्यक्तिगत पहचान संख्या (एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन) जारी की जाएगी। एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन आप ऐप से जनरेट कर सकते हैं और बाद में इसे ऐप से कभी भी बदला जा सकता है।

6.3 बायोमेट्रिक लॉक या ऐप के पिन से आप ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, और आप ऐप पिन के उपयोग, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ-साथ इस ऐप पिन का उपयोग करके कार्ड खाते में दर्ज किए गए सभी ऑर्डर और सूचना परिवर्तनों की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।

6.4 कृपया अपना ऐप पिन, एमपिन या एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन किसी के साथ साझा न करें या इसे किसी ऐसे तरीके से स्टोर न करें, जिससे कोई थर्ड पार्टी इसे एक्सेस कर सके। बैंक आपके द्वारा पिन द्वारा प्रमाणित ट्रांजैक्शन और निर्देशों को पूरा करने के लिए अधिकृत है और इसे कैंसल नहीं करेगा।

6.5 ऑनलाइन खरीदारी के लिए, हमने सुनिश्चित किया है कि सत्यापन/प्रमाणीकरण न केवल सुरक्षित बल्कि सुविधाजनक भी हो। कार्डधारक के रूप में, आप निम्न विधि का उपयोग करके अपनी ऑनलाइन खरीदारी को प्रमाणित कर सकते हैं:

6.5.1 वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी): अगर आप ओटीपी का उपयोग करके स्वयं को प्रमाणित करना चाहते हैं, तो आप खरीदारी के दौरान हमेशा एक ओटीपी का अनुरोध कर सकते हैं, जिसके आधार पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी जाएगी। आपको एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर समय सभी उचित कदम उठाने होंगे। अगर आप सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं, तो आप बैंक के प्रति उत्तरदायी हो सकते हैं, जो अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, मौजूदा एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर एक नया एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन जारी कर सकता है या आपको ऐप से एक नया एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन बनाने के लिए कह सकता है।

6.6 अगर आपने किसी भी सदस्यता या रिकरिंग भुगतान के लिए अपना एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जोड़ा है, तो इन सेवाओं के लिए पंजीकरण और/या पहले ट्रांजैक्शन को खंड 6.5 में दी गई उपरोक्त विधि का उपयोग करके प्रमाणित किया जाएगा। इसके बाद के ट्रांजैक्शन प्रमाणित नहीं किए जाएंगे और केवल पहले सत्यापन के आधार पर स्वीकृत किए जाएंगे। अगर आप किसी भी समय अपनी सदस्यता योजना बदलना चाहते हैं, तो आप सीधे मर्चेंट की वेबसाइट या ऐप से ऐसा कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि सदस्यता/रिकरिंग भुगतान व्यवस्था आरबीआई द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के अधीन है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

6.6.1 इन सदस्यताओं/रिकरिंग भुगतानों में किसी भी संशोधन के लिए खंड 6.5 में बताई गई उपरोक्त विधि का उपयोग करके प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।

6.6.2 इन सदस्यताओं/रिकरिंग भुगतानों के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा ₹15000 है। उपरोक्त भुगतानों के लिए पंजीकरण करते समय, आप सीमा के भीतर एक निश्चित मूल्य या एक परिवर्तनीय सीमा निर्धारित कर सकते हैं, जो सदस्यता/रिकरिंग भुगतान व्यवस्था की वैधता अवधि के लिए आपके एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से ली जाएगी।

6.6.3 आपके एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से राशि काटने से कम से कम 24 घंटे पहले आपको ट्रांजैक्शन से पूर्व सूचना दी जाएगी। इस प्रकार की भुगतान व्यवस्था के लिए पंजीकरण करते समय आपके द्वारा प्रदान किए गए आपके पसंदीदा संचार माध्यम पर आपको ट्रांजैक्शन पूर्व सूचना प्राप्त होगी।

6.6.4 इस ट्रांजैक्शन पूर्व सूचना में मर्चेंट का नाम, ट्रांजैक्शन राशि, शुल्क लगने की तिथि/समय, ट्रांजैक्शन का संदर्भ क्रमांक और शुल्क के कारण (जो कार्डधारक द्वारा सदस्यता/रिकरिंग भुगतान व्यवस्था पंजीकृत करते समय प्रदान किया जाएग□) शामिल होंगे।

6.6.5 ट्रांजैक्शन पूर्व सूचना प्राप्त होने पर, कार्डधारक के पास उस ट्रांजैक्शन के लिए भुगतान से ऑप्ट-आउट करने का विकल्प होगा। अगर आप ऑप्ट-आउट करना चुनते हैं, तो खंड 6.5 में दी गई विधि का उपयोग करके कार्रवाई को प्रमाणित करना होगा। इस प्रकार के ऑप्ट-आउट की सूचना प्राप्त होने पर, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वह विशेष ट्रांजैक्शन प्रभावित न हो, और बाद के रिकरिंग ट्रांजैक्शन भी प्रभावित न हों। बैंक आपको आपके पसंदीदा संचार माध्यम से इसकी पुष्टि करने के लिए एक सूचना भेजेगा।

6.6.6 आपके पास, अपने विवेकानुसार, ऐप य□ वेबसाइट के माध्यम से इन सदस्यता/रिकरिंग भुगतान व्यवस्थाओं को वापस लेने/कैंसल करने का विकल्प होगा। इस तरह की निकासी/कैंसलेशन को खंड में दी गई विधि का उपयोग करके प्रमाणित किया जाएगा।

6.7 इन सदस्यता/रिकरिंग भुगतानों से किसी भी निकासी/कैंसलेशन के कारण बैंक उस विशेष व्यवस्था के लिए बाद के ट्रांजैक्शन को प्रोसेस/प्रभावित नहीं कर पाएगा। हालांकि, कृपया ध्यान दें कि सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन प्रभावित होंगे।

पाइपलाइन ट्रांजैक्शन का अर्थ उन ट्रांजैक्शन से होगा जिनके लिए कार्डधारक को ट्रांजैक्शन पूर्व सूचनाएं भेजी जा चुकी हैं, और ऑप्ट-आउट सुविधा का उपयोग नहीं किया गया हैं, हालांकि कार्डधारक ने ट्रांजैक्शन अलर्ट भेजे जाने या कार्डधारक द्वारा प्राप्त किए जाने से पहले भुगतान व्यवस्था को वापस लेने का विकल्प चुना था।

6.7.1 इन सदस्यताओं/रिकरिंग भुगतान व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा या वसूल नहीं किया जाएगा।

7. कार्ड सदस्यता का उल्लंघन, समर्पण और समाप्ति/कैंसलेशन

7.1 उल्लंघन:

किसी भी कार्डधारक द्वारा इन शर्तों में से किसी का उल्लंघन करने की स्थिति में:

7.1.1 इन शर्तों के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, कार्डधारक ऐसे उल्लंघन के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी रहेगा; और

7.1.2 कार्डधारक, मांग किए जाने पर, कार्डधारक पर बकाया सभी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह मांग की तिथि पर देय हो या नहीं।

7.2 कार्डधारक द्वारा कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया - देय सूचना

7.2.1 आप हमारी ग्राहक सेवा टीम को 1800 209 9335/1800 1033 817 पर कॉल करके या customercare@sbmbank.co.in पर हमें ईमेल करके या ऐप से कभी भी अपना एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर सकते हैं। आपके एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी बकाया राशि और लोन/ईएमआई सुविधाएं (अगर लागू हो और/या ली गई हों) तुरंत देय हो जाएंगी।

7.2.2 ग्राहकों से अनुरोध है कि वे कार्ड बंद करने का अनुरोध शुरू करने से पहले अपने क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान कर दें।

अगर क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करने से पहले कार्ड बंद किया जाता है, तो बैंक क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि (ब्याज और शुल्क (अगर कोई हो) सहित) वसूलने के लिए क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सभी फिक्स्ड डिपॉजिट्स को समाप्त कर देगा। इस तरह के समापन को फिक्स्ड डिपॉजिट्स की समय-पूर्व निकासी माना जाएगा और फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ब्याज दर* के 1% के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा।
क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि और समय-पूर्व निकासी जुर्माने के एडजस्टमेंट के बाद शेष राशि ग्राहक को वापस कर दी जाएगी।

**मेच्योरिटी तिथि से पहले निकाली गई फिक्स्ड डिपॉजिट्स के लिए, ब्याज उस राशि और अवधि पर लागू दर पर दिया जाएगा जिसके लिए जमा बैंक में रहा, न कि अनुबंधित दर पर। इसके अलावा, अगर डिपॉजिट्स की समय-पूर्व निकासी न्यूनतम 7 दिनों की अवधि पूरी होने से पहले की जाती है, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।*

7.2.3 कार्ड बंद होने के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी रिफंड/वापसी की सूचना आपको दी जाएगी और स्वामित्व सत्यापित करने के बाद ग्राहक सेवा के साथ साझा किए गए खाता संख्या में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिफंड कर दी जाएगी।

7.2.4 किसी भी कारण से एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की सदस्यता की समाप्ति/कैंसलेशन पर, चाहे वह कार्डधारक या बैंक के कहने पर हो, कार्डधारक एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के उपयोग से होने वाले सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी रहेगा। -

7.2.5 आप विशेष रूप से स्वीकार करते हैं कि एक बार आपका एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खाता बंद हो जाने पर, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के विशेषाधिकार (जिनमें सभी अर्जित लाभ और सेवाएं, भुनाए नहीं गए रिवॉर्ड पॉइंट आदि शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) कैंसल हो जाएंगे। इसकी बहाली अपने आप नहीं होती और न ही यह तय है। यह पूरी तरह बैंक की इच्छा पर निर्भर करती है।

7.2.6 दुरुपयोग से बचने के लिए, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने की सलाह दी जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि होलोग्राम, चुंबकीय पट्टी और चिप स्थायी रूप

से नष्ट हो जाएं।

7.2.7 आपका एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खाता तभी बंद होगा जब बैंक को उक्त एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खाते से संबंधित सभी देय और बकाया राशि का भुगतान प्राप्त हो जाएगा।

7.3 कार्ड सदस्यता कैंसल करने की प्रक्रिया

अगर हम व्यावसायिक या सुरक्षा कारणों से इसे आवश्यक समझते हैं, तो आपके एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड तक आपकी पहुंच बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय कैंसल/निरस्त की जा सकती है, जिसमें निम्न शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं:

7.3.1 विलंबित या अस्वीकृत भुगतान, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का अनुचित उपयोग जो आरबीआई और फॉरेक्स नियमों का उल्लंघन करता हो।

7.3.2 कार्ड आवेदन के साथ दी गई भ्रामक या गलत जानकारी/दस्तावेज

7.3.3 अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) / धन शोधन निरोधक (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक जानकार□ या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता।

7.3.4 किसी भी प्राधिकरण, न्यायालय या पेशेवर निकाय या संघ द्वारा किसी भी दीवानी मुकदमेबाजी या आपराधिक अपराध/कार्यवाही में संलिप्तता; और

7.3.5 मौजूदा परिस्थितियों/अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण लोन पॉलिसी में परिवर्तन।

अगर आपका कार्ड हमारे सिस्टम में बंद नहीं हुआ है, तो आप वास्तविक बकाया राशि के साथ अपना एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट प्राप्त करना जारी रख सकते हैं।

8. शुल्क और भुगतान

भुगतान तिथि पर आपके द्वारा देय कुछ शुल्क यहां दिए गए हैं, जो ऐप में दिखाई देंगे:

8.1. वस्तुओं और/या सेवाओं (ईकॉम/पीओएस) की किसी भी खरीद की राशि।
8.2. एटीएम निकासी शुल्क।

8.3. एमआईटीसी में निर्दिष्ट कोई भी शुल्क।

8.4. 8.4 विशिष्ट प्रकार के ट्रांजैक्शन पर बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए सेवा शुल्क लगाए जा सकते हैं।

8.5. 8.5. एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के संबंध में या उससे संबंधित सरकार या अन्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले सभी वैधानिक टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी), और अन्य टैक्स (किसी भी प्रकार के) देय होंगे।

8.6. प्रत्येक बिलिंग पर ट्रांजैक्शन की तिथ□ से ब्याज और शुल्क लगाए जाएंगे।

8.7. फ्यूल स्टेशनों पर ट्रांजैक्शन: फ्यूल स्टेशनों पर ट्रांजैक्शन: जब आप फ्यूल के भुगतान के लिए एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपसे लागू होने वाला सरचार्ज लिया जाएगा। कृपया टेबल संख्या 07 (एमआईटीसी) देखें।

8.8. एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए शुल्क लगते ही आप भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अगर कोई पिछली बकाया राशि है, तो उस राशि पर भी ब्याज लगाया

जाएगा।

8.9. शुल्क की गणना औसत दैनिक बैलेंस विधि से की जाती है और अगर शुल्क वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के संबंध में है, तो बैंक के रिकॉर्ड में शामिल होने की तिथि से होगी और इसे निम्नलिखित तिथियों में से किसी एक तिथि से लगाया जाएगा

8.10. जब आपको अपना बिल प्राप्त होता है, तो आप अपने स्टेटमेंट के अनुसार कुल देय राशि (टीएडी) या न्यूनतम देय राशि (एमएडी) का भुगतान करने क□ विकल्प चुन सकते हैं। शेष राशि को अगले महीनों में आगे बढ़ाया जा सकता है।

यह न्यूनतम निम्न तरीके से देय राशि होगी:

8.10.1 बकाया राशि का 5% लिया जाएगा; साथ ही

8.10.2 पिछली बकाया न्यूनतम राशि, अगर कोई हो; साथ ही

8.10.3 क्रेडिट सीमा से अधिक कोई भी राशि; साथ ही

8.10.4 किसी भी देय किश्त (ईएमआई) की पूरी राशि (अगर/जैसा लागू हो)

कुल देय राशि या न्यूनतम देय राशि के अलावा, आप न्यूनतम देय राशि और कुल देय राशि के बीच की राशि का भी भुगतान कर सकते हैं। विलंब शुल्क से बचने के लिए देय तिथि से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।

8.11. अगर कुल देय राशि 100 रुपये से कम है, तो न्यूनतम देय राशि कुल देय राशि के बराबर होगी, अर्थात 100 रुपये। आप निम्न तरीकों का उपयोग करके ऐप के माध्यम से बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं:

8.11.1 यूपीआई के माध्यम से

8.11.2 नेट बैंकिंग के माध्यम से

8.11.3 आप बैंक की वेबसाइट **https://pay.billdesk.com/cardnet-instapay/sbmcard**के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं

हम जानते हैं कि आप डिजिटल भुगतान में विश्वास करते हैं, इसलिए हम नकद या चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं करते हैं।

8.12. प्रत्येक कार्डधारक को एक क्रेडिट सीमा दी जाएगी जिसे किसी भी समय पार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, अगर कुल बकाया राशि कुल क्रेडिट सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।

8.13. 8.13 अगर एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के भुगतान के लिए कार्डधारक द्वारा दिया गया भुगतान साधन या निर्देश मान्य नहीं होता है, या उसे आपको वापस करना पड़ता है क्योंकि वह प्रोसेस नहीं हो सकता है, तो बैंक आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अपने विवेकानुसार शुल्क लगाएगा और/या एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को अस्थायी रूप से अक्षम/स्थायी रूप से कैंसल कर देगा। आपको विलंब भुगतान शुल्क, या बैंक द्वारा तय किए गए किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

9 खोया, चोरी हुआ या दुरुपयोग किया गया क्रेडिट कार्ड/खोया हुआ फोन

9.1 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के खो जाने, चोरी हो जाने या दुरुपयोग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

9.1.1 अगर आपका एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, गलत जगह रख दिया जाता है, या एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो तुरंत ऐप पर इसकी सूचना दें या 18002099335 / 18001033817 पर कॉल करें या हमें customercare@sbmbank.co.in. पर ईमेल करें। अगर आपका एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खो जाता है, तो आप ऐप पर कार्ड को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकते हैं।

9.1.2 अगर आपका एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप ऐप पर खोए या चोरी हुए एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और एक नया कार्ड प्राप्त कर सकते हैं जो आपको भेज दिया जाएगा। आप ऐप पर एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन भी रीसेट कर सकते हैं।

9.1.3 अगर पंजीकृत मोबाइल नंबर वाला मोबाइल फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो 18002099335 / 18001033817 पर कॉल करके तुरंत सूचित करें।

9.1.4 कृपया एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड या फोन की चोरी की सूचना पुलिस को प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करके दें और अनुरोध किए जाने पर उसकी एक प्रति हमारे साथ साझा करें।

9.1.5 अगर आप अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पता बदलते हैं, तो कृपया हमें customercare@sbmbank.co.in पर ईमेल करके या किसी भी नजदीकी एसबीएम बैंक शाखा में जाकर तुरंत सूचित करें।

9.2 खंड 10.1 के मामले में कार्ड धारक का दायित्व

9.2.1 हमे नुकसान की सूचना देने के बाद, आप एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के किसी भी दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जब तक कि आपने घोर लापरवाही न बरती हो।

9.2.2 आपकी सहमति या जानकारी में या कार्ड/फोन के नुकसान की सूचना देने से पहले हुए किसी भी दुरुपयोग के कारण होने वाले सभी नुकसानों के लिए आप उत्तरदायी होंगे।

अपना एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन, ऐप पिन और एम-पिन कभी किसी के साथ साझा न करें!

10 दायित्व

10.1. बैंक के नियंत्रण में किसी सिस्टम विफलता या खराबी के कारण आपको हुए प्रत्यक्ष नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

10.2. हालांकि, ट्रांजैक्शन के गैर-निष्पादन या दोषपूर्ण निष्पादन के लिए बैंक की जिम्मेदारी मूल राशि और ब्याज की हानि तक सीमित है, जो वर्तमान में लागू कानूनों के अधीन है।

11 दायित्व का बहिष्करण

11.1 बैंक के पास उपलब्ध उपायों और इन शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक कार्डधारक के प्रति किसी भी प्रकार की हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो प्रत्यक्ष या

अप्रत्यक्ष रूप से निम्न कारणों से उत्पन्न होती है:

11.1.1आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु या सेवा में कोई दोष।

11.1.2 किसी व्यक्ति/मर्चेंट प्रतिष्ठान द्वारा एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करने या मानने से इनकार करना।

11.1.3किसी भी कंप्यूटर टर्मिनल की खराबी।

11.1.4 कार्डधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ट्रांजैक्शन निर्देश देना।

11.1.5 आपके द्वारा अपने एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति या उसके प्रतिनिधियों के अलावा किसी अन्य को सौंपना।

11.1.6 बैंक, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर दर्ज समाप्ति तिथि से पहले एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के सरेंडर की मांग करने और उसे प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

11.1.7 बैंक और/या किसी भी एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड और संबंधित कार्ड खाते को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है; या

11.1.8 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की वापसी और/या, इसकी वापसी के किसी अनुरोध या किसी मर्चेंट प्रतिष्ठान द्वारा एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को स्वीकार करने या उसका सम्मान करने से इनकार करने के कारण आपके क्रेडिट चरित्र और प्रतिष्ठा को कथित रूप से कोई नुकसान पहुंचा हो।

11.2 आप स्वीकार करते हैं कि एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय आपके द्वारा प्रदान किए गए पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर या ईमेल पर अलर्ट प्राप्त करने की सुविधा, बैंक द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाताओं या अन्य द्वारा प्रदान की जाने वाली संरचना, कनेक्टिविटी और सेवाओं पर निर्भर है।

12 कलेक्शन

12.1 आप सहमत हैं कि अगर आप देय तिथि पर भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो बैंक बिना किसी पूर्वाग्रह के, इन नियमों, एमआईटीसी और/या लागू कानून□□ के अंतर्गत उपलब्ध अपने सभी या किसी भी अधिकार और उपायों का प्रयोग करेगा।

12.2 अगर आप भुगतान की देय तिथि के कम से कम 3 दिन बाद न्यूनतम देय राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो आरबीआई द्वारा अधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को बैंक द्वारा एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के बकाया होने के बारे में रिपोर्ट किया जाएगा। देय न्यूनतम राशि का भुगतान न करने पर क्रेडिट कार्ड सेवाएं बंद भी हो सकती हैं।

12.3 क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्ट करने के बाद, रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती।

हालांकि, अगर आपके द्वारा बकाया राशि का निपटान कर दिया जाता है, तो यह जानकारी बैंक द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को पाक्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी।

12.4 भुगतान में डिफॉल्ट की स्थिति में, आपको किसी भी बकाया राशि के निपटान के लिए डाक, टेलीफोन, ईमेल, एसएमएस द्वारा रिमाइंडर भेजे जाएंगे। अगर नियमित माध्यमों से आपसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो बकाया राशि की याद दिलाने, फॉलोअप कार्रवाई करने और वसूलने के लिए थर्ड पार्टी को नियुक्त किया जा सकता है।

12.5 आपके निवास/कार्यालय/फोन पर आपके पति/पत्नी/माता-पिता/अन्य प्रत्यक्ष वयस्क पारिवारिक

सदस्य/सचिव/अकाउंटेंट/अन्य सहकर्मी (जो उपलब्ध हों) के पास मैसेज छोड़ा जा सकता है। नियुक्त किया गया ऐसा कोई भी थर्ड पार्टी लोन रिकवरी संबंधी आचार संहिता का पूरी तरह पालन करेगा।

12.6 कार्डधारक की मृत्यु/स्थायी रूप से अक्षम होने की स्थिति में बकाया राशि की रिकवरी: कार्डधारक के उत्तराधिकारियों/नॉमिनी/कानूनी वारिसों को बकाया राशि के भुगतान और बकाया राशि से संबंधित सभी जानकारी के लिए पर्याप्त सूचना देने के बाद, यह कानूनों के अनुसार लागू होगी।

13 विवादों का मध्यस्थता और समाधान

13.1 बैंक द्वारा किसी मर्चेंट प्रतिष्ठान से भुगतान हेतु प्राप्त कोई भी अनुरोध इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि कार्डधारकों द्वारा शुल्क उचित रूप से वहन किया गया था, जब तक कि एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खो न जाए, चोरी न हो जाए या धोखाधड़ी से उसका दुरुपयोग न हो जाए और इसकी रिपोर्ट ऊपर दिए गए खंड 8 के अनुसार न की जाए, जिसे उन्हें साबित करना होगा।

13.2 किसी भी चार्ज स्लिप पर कार्डधारक के हस्ताक्षर या उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए एसबीएम सुरक्षित क्रेडिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पिन, ऐप पिन, वन-टाइम-पासवर्ड (ओटीपी) के इनपुट द्वारा ट्रांजैक्शन का प्रमाणीकरण या ट्रांजैक्शन पुष्टिकरण सूचना को स्वाइप करने का संकेत उनके द्वारा उठाए गए दायित्व का निर्णायक सबूत होगा।

13.3 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पिन का उपयोग करके ग्राहक सेवा या ऐप के माध्यम से प्राप्त किसी भी सुविधा के मामले में, ऐप पिन या उपयोगकर्ता आईडी इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि कार्डधारक ने ट्रांजैक्शन किया है। बैंक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्डधारकों को खरीदी गई वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त हो गई हैं।

13.4 अगर कार्डधारक विवरण में दर्शाए गए किसी शुल्क से असहमत हैं, तो कृपया विवरण प्राप्त होने के 30 दिनो के भीतर बैंक को सूचित करें, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि विवरण में दर्शाए गए सभी शुल्क सही हैं।

13.5 इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या प्रश्न, या किसी भी तरह से इनसे संबंधित या इनके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के संबंध में, या इसक अंतर्गत पक्षों के अधिकार, दायित्व और देनदारियों से संबंधित मामले, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार, बैंक द्वारा नामित एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजे जाएंगे और उनका निपटारा किया जाएगा, और मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु, अनिच्छा, इनकार, उपेक्षा, अक्षमता या अयोग्यता की स्थिति में, बैंक एकमात्र मध्यस्थ के रूप में एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकता है। मध्यस्थ को निर्णय के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी, और मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

मध्यस्थता कार्यवाही मुंबई में होगी।

13.6 उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कंपनी अपने विवेकाधिकार से कार्डधारक को उपरोक्त किसी भी विवाद के निपटारे हेतु सुलह कार्यवाही शुरू करने हेतु नोटिस जारी कर सकती है, अगर कार्डधारक ने 60 दिनों से अधिक समय तक बकाया राशि का भुगतान करने में डिफॉल्ट की हो।

14 वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता

14.1 बैंक किसी भी तरह से आपके द्वारा मर्चेंट प्रतिष्ठानों से खरीदी गई या प्राप्त की गई वस्तुओं,

व्यापारिक वारंटी या सेवाओं के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें डिलीवरी में देरी, डिलीवरी न होना, सामान की प्राप्ति न होना या आपको दोषपूर्ण सामान प्राप्त होना शामिल है।

14.2 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड विशुद्ध रूप से आपके लिए सामान खरीदने और/या सेवाओं का लाभ उठाने की एक सुविधा है, और बैंक सामान की गुणवत्ता, डिलीवरी या अन्य किसी भी प्रकार की वारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

14.3 सामान या सेवा से संबंधित किसी भी विवाद या दावे का समाधान आपको सीधे मर्चेंट प्रतिष्ठान के साथ करना होगा। दावे या विवाद के अस्तित्व से आप बैंक को सभी शुल्कों का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे और आप ऐसे शुल्कों का शीघ्र भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

15 क्रेडिट ट्रांजैक्शन

15.1 खरीदारी के लिए डेबिट और बाद में माल/सेवाओं के कैंसलेशन के लिए क्रेडिट, दो अलग-अलग ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। किसी भी अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए आपको खरीदारी ट्रांजैक्शन के लिए भुगतान उसी रूप में करना होगा जैसा कि विवरण में दर्शाया गया है।

15.2 कैंसलेशन पर, रिफंड केवल बैंक द्वारा प्राप्त होने पर ही कार्ड खाते (कैंसलेशन शुल्क घटाकर) में जमा की जाएगी। अगर 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्ड खाते म□□ क्रेडिट नहीं किया जाता है, तो आप ऐप, ईमेल या फोन के माध्यम से बैंक को सूचित कर सकते हैं।

16 प्रकटीकरण

16.1 बैंक, क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अनुसार, आरबीआई द्वारा अधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) के साथ क्रेडिट सूचना साझा करेगा, जिसमें वर्तमान शेष राशि, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से जुड़े लोन/ईएमआई सुविधाएं (अगर लागू हो और/या ली गई हों), एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड/लोन पर बकाया शेष राशि, भुगतान इतिहास आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

16.2 बैंकों या एनबीएफसी के पास वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर आरबीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों सहित सभी विनियामक नियमों, निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करने की पूरी जिम्मेदारी है। कंपनी आरबीआई द्वारा जारी बैंकों या एनबीएफसी द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कोई भी सेवा प्रदान नहीं करती है।

16.3 बैंक आवश्यकतानुसार वैधानिक अधिकारियों को कार्ड खाते का विवरण प्रदान करेगा।

16.4 प्राप्त ट्रांजैक्शन अलर्ट को ट्रांजैक्शन पूरा होने की पुष्टि नहीं माना जा सकता है।

16.6 आपको एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन और मुख्य विशेषताओं के बारे में संचार प्राप्त होते रहेंगे।

17 विवादों का निपटारा

सभी विवाद मुंबई, भारत स्थित सक्षम न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे और भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे। इसके अंतर्गत कोई भी मध्यस्थता कार्यवाही गोपनीय आधार पर संचालित की जाएगी। प्रत्येक पक्ष किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में (यथासंभव अधिकतम सीमा तक) शीघ्रता लाने के लिए सद्भावपूर्वक सहयोग करेगा।

18 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड

एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एमआईटीसी और कार्ड धारक अनुबंध

18.1 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ("एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड") बैंक द्वारा कार्डधारक (या "आप") द्वारा बैंक में बनाई और रखी गई फिक्स्ड डिपॉजिट राशि के विरुद्ध जारी किया गया एक क्रेडिट कार्ड है।

18.2 ये नियम और शर्तें बैंक द्वारा जारी एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर लागू होती हैं और उसे नियंत्रित करती हैं। ये नियम और शर्तें बैंक की क्रेडिट कार्ड सुविधाओं और बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट ('प्राथमिक नियम और शर्तें') को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अतिरिक्त हैं, न कि उनके विपरीत हैं। इन नियमों और प्राथमिक नियमों और शर्तों के बीच किसी भी गलती की स्थिति में, ये नियम और शर्तें लागू होंगी।

18.3 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के पात्र होने के लिए, आप ऐप के माध्यम से बैंक में न्यूनतम दो हजार रुपये (2,000 रुपये) से शुरू होने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट बना सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एफडी की सीमाएं अलग-अलग होती ह□□, अधिक जानकारी के लिए एसबीएम बैंक की वेबसाइट देखें। कृपया ध्यान दें कि अगर कोई व्यक्ति एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है, तो उसे ऐप के माध्यम से ही फिक्स्ड डिपॉजिट (फिक्स्ड डिपॉजिट) बनाना होगा। किसी भी आवेदक को किसी भी समय केवल एक ही एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा।

18.4 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट सीमा, फिक्स्ड डिपॉजिट राशि के नब्बे प्रतिशत (90%) तक होगी, जो संबंधित प्रोग्राम में उनकी संबंधित फिक्स्ड डिपॉजिट श्रेणियों के अनुसार निर्दिष्ट क्रेडिट सीमा के अधीन होगी। उक्त क्रेडिट सीमा समय-समय पर बैंक के विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन हो सकती है और आपको बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके और माध्यम से सूचित की जाएगी।

18.5 आपको बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से और संबंधित दस्तावेजों के निष्पादन के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट बनाना होगा। बैंक में इस प्रकार बनाए गए फिक्स्ड डिपॉजिट ऑटोमेटिक रिन्यूअल मोड पर होंगे। एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करके और इसमें निहित शर्तों से सहमत होकर, आप कार्ड ऑनबोर्डिंग/केवाईसी के दौरान तय की गई अवधि के अनुसार फिक्स्ड डिपॉजिट के ऑटोमेटिक रिन्यूअल के लिए अपनी सहमति देते हैं।

आपके/बैंक द्वारा एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड कैंसल किए जाने की स्थिति में, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट करते समय आपके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

18.6 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी होने पर, बैंक के सामान्य लियन और सेट-ऑफ के अधिकार के अलावा, बैंक आपके द्वारा जमा की गई फिक्स्ड डिपॉजिट राशि के पूरे/आंशिक भाग पर, आपके द्वारा अर्जित ब्याज सहित, बकाया राशि का भुगतान करने या फिक्स्ड डिपॉजिट की मेच्योरिट□ (जैसी भी स्थिति हो) के बाद एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की समाप्ति तक लियन चिह्नित करेगा। अगर आपके पास बैंक में कोई मौजूदा फिक्स्ड डिपॉजिट है जो ऐप के माध्यम से नहीं बनाया गया है, तो वह आपके एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड खाते से लिंक नहीं होगा। एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड तभी एक्टिव होगा और आपके उपयोग के लिए उपलब्ध होगा जब आपके द्वारा बनाई गई फिक्स्ड डिपॉजिट पर लियन अंकित हो जाएगा।

18.7 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के मामले में, कार्ड खाते पर बकाया संपूर्ण राशि, साथ ही किसी भी बकाया कार्ड ट्रांजैक्शन की राशि, ब्याज और अन्य सभी लागतें, शुल्क (जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है), जो आपके द्वारा एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के उपयोग के दौरान किए गए हैं लेकिन अभी तक कार्ड खाते पर चार्ज नहीं किए गए हैं, उसे बैंक द्वारा अनुमोदित और पूरी तरह से आपके नाम पर स्थित ऐसी प्रतिभूतियों/फिक्स्ड या फिक्स्ड डिपॉजिट्स/अन्य परिसंपत्तियों को गिरवी/दृष्टिबंधक/लियन के माध्यम से, बैंक द्वारा निर्धारित

रूप और तरीके से सुरक्षित किया जाएगा। आपको प्रतिभूति बनाने के लिए बैंक को संतोषजनक रूप और तरीके से ऐसे सभी दस्तावेज निष्पादित करने होंगे। प्रतिभूति बनाने और अन्य सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में शामिल लागतें, जिनमें स्टाम्प शुल्क आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, आपके द्वारा वहन की जाएंगी।

18.8 फिक्स्ड डिपॉजिट के ऑटोमेटिक रिन्यूअल के समय लागू ब्याज दर, लिंक की गई फिक्स्ड डिपॉजिट राशि पर लागू होगी, जब तक कि आपने फिक्स्ड डिपॉजिट को ऑटोमेटिक रिन्यूअल न करने के लिए विशेष रूप से निर्देश न दिए हों, जिसका अर्थ होगा कि एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया जाएगा।

18.9 अगर फिक्स्ड डिपॉजिट को अवधि पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट के निर्माण की तिथि से फिक्स्ड डिपॉजिट के परिसमापन की तिथि तक फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज का एक (1) प्रतिशत की दर से अवधि-आधारित जुर्माना लगाया जाएगा।

18.10 एक बार एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी हो जाने के बाद, आपको एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से जुड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट से कोई भी आंशिक निकासी करने का अधिकार नहीं होगा। एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए खोली गई फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि ऑटोमेटिक रिन्यूअल मोड पर तब तक जारी रहेगी जब तक कि इसे समाप्त और कैंसल न कर दिया जाए। एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी करना फिक्स्ड डिपॉजिट के सफल निर्माण के अधीन है।

18.11 फिक्स्ड डिपॉजिट एक ही व्यक्ति के नाम पर होगी और एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होगी। फिक्स्ड डिपॉजिट ऐप के माध्यम से खोला जाना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट सुविधा के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

18.12 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की फिक्स्ड डिपॉजिट की समाप्ति/वापसी/कैंसल होने की स्थिति में या अगर आप कार्ड स्टेटमेंट में दर्ज देय तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, या आपके निधन पर फिक्स्ड डिपॉजिट की समाप्ति के मामले में, बैंक अर्जित ब्याज सहित पूरी फिक्स्ड डिपॉजिट राशि को तुरंत समाप्त करने और एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक को देय बकाया राशि के लिए ऐसी राशि को सेट करने का हकदार होगा।

उपरोक्त कटौती के बाद शेष राशि आपको वापस कर दी जाएगी और लंबित बकाया राशि का तुरंत भुगतान करना होगा। आपके दुर्भाग्यपूर्ण निधन की स्थिति में, एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, बकाया राशि का भुगतान न करने की स्थिति में, बैंक आपके द्वारा धारित एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड को आरबीआई द्वारा अधिकृत क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को बकाया के रूप में रिपोर्ट करेगा और ऐसी रिपोर्टिंग आपके क्रेडिट स्कोर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

18.13 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि फिक्स्ड डिपॉजिट बंद होने की स्थिति में, फिक्स्ड डिपॉजिट के विरुद्ध आपके द्वारा लिया गया एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाएगा और ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट पर लगा लियन हटा दिया जाएगा। हालांकि, यहां या किसी अन्य दस्तावेज में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसी स्थिति में, बैंक को अर्जित ब्याज सहित पूरी फिक्स्ड डिपॉजिट राशि को समाप्त करने और एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के संबंध में बैंक को देय बकाया राशि के विरुद्ध ऐसी राशि का एडजस्टमेंट करने का अधिकार होगा। उपरोक्त देय एडजस्टमेंट के बाद शेष राशि आपको वापस कर दी जाएगी।

18.14 कार्डधारकों के पास बैंक के पूर्ण विवेक पर मोबाइल ऐप के माध्यम से एक नया फिक्स्ड डिपॉजिट बनाकर फिक्स्ड डिपॉजिट को टॉप-अप करने का विकल्प है।

18.15 कार्डधारक फिक्स्ड डिपॉजिट में कोई भी वृद्धि के लिए टॉप-अप कर सकता है; हालांकि, यह बैंक के विवेक पर होगा और किसी भी लागू कानून के अधीन होगा।

19 नियम और शर्तें

19.1 इन नियमों और एमआईटीसी की सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट/ऐप पर उपलब्ध है और कार्ड जारी करते समय भी सूचित की जाएगी।

19.2 एसबीएम सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर दी जाने वाली किसी भी शर्त, सुविधा और लाभ में संशोधन या परिवर्धन करने का पूर्ण विवेक बैंक के पास होगा। शर्तों में परिवर्तन कार्डधारक को सभी उपलब्ध संचार माध्यमों (एसएमएस/ईमेल/सूचनाएं आदि) के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

19.3 बैंक द्वारा शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कार्डधारक को परिवर्तन की 30 दिन पहले सूचना देनी होगी ताकि वह चाहे तो वापसी कर सके। 30 दिनों की नोटिस अवधि के बाद, अगर कार्डधारक ने निर्दिष्ट अवधि के दौरान वापसी नहीं की है, तो उसे शर्तों को स्वीकार करने वाला माना जाएगा और कार्डधारक इन संशोधित शर्तों के तहत लगने वाले सभी शुल्कों और अन्य सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा।

19.4 आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप एसबीएम बैंक की वेबसाइट/ऐप पर पोस्ट किए गए संशोधनों सहित इन शर्तों को नियमित रूप से देखें।

20 छूट/स्वीकृति

इस अनुबंध, या किसी अन्य अनुबंध या दस्तावेज के तहत किसी भी डिफॉल्ट पर बैंक को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति य□ उपाय के प्रयोग में कोई देरी, या चूक, ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, शक्ति या उपाय को कम नहीं करेगी और न ही इसे ऐसे किसी भी डिफॉल्ट में छूट/सहनशीलता या किसी भी स्वीकृति के रूप में समझा जाएगा; न ही किसी डिफॉल्ट के संबंध में बैंक की कार्रवाई या निष्क्रियत□ या किसी भी डिफॉल्ट में उसकी स्वीकृति, किसी भी बाद की या समान डिफॉल्ट के संबंध में बैंक के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या कम करेगी।